[2020] 8 एस. सी. आर. 510

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

(सुओ मोटो अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) 2020 का नंबर 1)

31 अगस्त, 2020

[अरुण मिश्रा, बी. आर. गवई और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

न्यायालय की अवमानना-न्यायालय की आपराधिक अवमानना-स्वतः संज्ञान कार्यवाही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए समकालीन (एक अधिवक्ता) ने समकालीन को बिना शर्त कार्रवाई करने के लिए समय दिया क्षमा याचना, यदि वह ऐसा चाहते हैं-कंटेंनर ने पूरक बयान दायर किया जिसमें दोहराया गया कि ट्विटर पर उनके बयान प्रामाणिक थे और उन्होंने अनुरोध किया

वैध बचाव के रूप में सत्य-आयोजितः एस के अनुसार, सत्य को वैध बचाव के रूप में मानने के लिए दोहरी आवश्यकता। 13 अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 का कहना है कि इस तरह का बचाव जनहित में है और इस तरह के बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है-मामले के तथ्यों में, लिए गए बचाव को या तो जनहित में नहीं कहा जा सकता है या

वर्तमान मामले में चेतावनी पर्याप्त नहीं है-उचित संतुलन अपराधी, अपराध और दोषसिद्धि निर्णय और लिए गए बचाव के बारे में कारक और अवमानकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उदारता दिखाते हुए, गंभीर सजा देने के बजाय,

अवमानकर्ता को रुपये के मामूली जुर्माने की सजा सुनाई गई। 1 / - - चूक होने पर समकालीन को 3 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा और आगे उसे उच्चतम न्यायालय में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

3 साल की अवधि के लिए।

न्यायपालिका-हालाँकि निर्णय की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है।

कानून में, कोई व्यक्ति यू/आर्ट के अधिकार से अधिक नहीं हो सकता है। 19 (1) (क) संस्था को बदनाम करना-भारत का संविधान-Art.19 (1) (a)।

न्यायपालिका-यदि न्यायाधीशों पर तीखा हमला किया जाता है, तो उनके लिए निडर होकर और उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा।

मुद्दों पर दृष्टिकोण की निष्पक्षता-निर्णय की आलोचना की जा सकती है-हालाँकि, न्यायाधीशों के उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह न्याय के प्रशासन को बदनाम करता है-न्याय प्रशासन।

अधिवक्ता/कानूनी पेशा-वकीलों को एक वर्ग के रूप में जनता द्वारा बुद्धिजीवियों के रूप में देखा जाता है।

भारत का संविधान-कला। 19 (1) (क)-बोलने की स्वतंत्रता कला का हिस्सा है। 19 (1) (क)-हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यायाम करते समय

पावर यू/आर्ट। 129 , न्यायालय Art.19 (1) (a) के तहत अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है-उच्चतम न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत होने के नाते दंडित कर सकता है

510 इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

अवमानना के लिए-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह लोकतंत्र की किसी भी संस्था को बदनाम नहीं कर सकता है।

भारत का संविधान-कला। 129 - शक्तियों का प्रयोग करते समय यू /

Art.129, न्यायालय को अधिकार u/Art.19 (1) (a) और कला के तहत प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। 19 (2) - भारत का संविधान

Art.19 (1) (a) और 19 (2)।

अधिवक्ताओं/कानूनी पेशे की भूमिका और कर्तव्यः वकीलों का महान पेशा अपना सारा महत्व और आकर्षण खो देगा।

और गरिमा यदि वकीलों को कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य करने की अनुमति है,

जिनका वे हिस्सा हैं वकीलों को निडर होना चाहिए स्वतंत्र और मजबूत लेकिन एक ही समय में सम्मानपूर्ण

संस्था।

न्यायपालिका-न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप-पहले से प्रेस को बयान जारी करना-आयोजितः एक विचाराधीन मामले में,

प्रेस को पहले से बयान जारी करना अनुचित कार्य है और न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने का प्रभाव पड़ता है और स्पष्ट रूप से समाचार पत्र और मीडिया के प्रभाव से न्यायालय के निर्णय को मजबूर करने का प्रयास है, जिसे न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है और आगे स्वतंत्र न्यायिक निर्माण प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप के समान होगा जो न्याय की संस्था की नींव है।

शपथ पत्र में इस प्रकार संस्था को और बदनाम करने का प्रयास किया गया है। कानून का शासन-कानून की सर्वोच्चता-कानून का मजबूत हाथ उस पर प्रहार करता है जो कानून के शासन की सर्वोच्चता को चुनौती देता है

इसके स्रोत और धारा को दूषित करना-अदालत को केवल वहीं कार्रवाई करनी होती है जहां हमला अनुमेय सीमा से परे हो।

अवमानना कार्यवाही का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 से पता चलेगा कि सत्य को वैध बचाव के रूप में मानने के लिए

यह एक दोहरी आवश्यकता है। कि इस तरह का बचाव जनहित में है

और यह कि उक्त बचाव का आह्वान करने का अनुरोध प्रामाणिक है।

अवमानकर्ता के बचाव की जांच करने पर, न्यायालय महान्यायवादी द्वारा की गई इस दलील से सहमत होता है कि बचाव को या तो जनहित में या प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि जब अवमानकर्ता के वकील की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा था कि वह अवमानकर्ता के जवाब में हलफनामे में आगे के कथनों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को और खराब करेगा। इस प्रकार, महान्यायवादी का विचार है कि बचाव पक्ष को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए

समर्थन किया। हालाँकि ट्वीट दो पंक्तियों का था, लेकिन जवाब में हलफनामा मुख्य न्यायाधीशों सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त और साथ ही वर्तमान न्यायाधीशों के कामकाज के संबंध में अवमानकर्ता द्वारा न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में उनकी भूमिका के संबंध में लगाए गए आरोपों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। यदि सत्य को बचाव के रूप में लेने के लिए कथनों पर विचार किया जाता है, तो यह अवमानना को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए, लिए गए बचाव को या तो जनहित में या प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत, यह इस न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए अधिक अपमानजनक है और यह और अधिक निंदनीय और अपमानजनक होगा। बदनाम न्याय का प्रशासन, जिसमें इस देश के आम नागरिक को विश्वास है और न्याय प्राप्त करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। जैसा कि दावे राजनीतिक पर आधारित हैं

विचार, और इसलिए बचाव के रूप में सत्य की अवमानना के मामले का समर्थन करने के लिए नहीं माना जा सकता है। लगाए गए आरोप निंदनीय हैं और न्यायिक प्रशासन की इमारत को हिलाने और आम आदमी के विश्वास को भी हिलाने में सक्षम हैं न्याय के प्रशासन में। [पैरा 20,26-28,32 और 33] [534 G-H; 538-C-H; 539-D-E]

अप्रत्यक्ष कर व्यवसायी संघ v. आर. के. जैन (2010) 8 एस. सी. सी. 281; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। अरुण शौरी (2014) 12 एससीसी 344: [2014] 13 एस. सी. आर. 581- संदर्भित।

1.2 हालाँकि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं होती क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसे लागू किया है

उस पर कुछ प्रतिबंध। विशेष रूप से जब ऐसी स्वतंत्रता

भाषण का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है और इसका प्रभाव समग्र रूप से संस्थान को बदनाम करने का होता है और जो व्यक्ति उक्त संस्थान का हिस्सा हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, उन्हें कानून में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि फैसले की निष्पक्ष आलोचना कानून में स्वीकार्य है, लेकिन कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संस्था को बदनाम करने के अधिकार से अधिक नहीं हो सकता है। [पैरा 34] [539-एफ-जी] आरई में:

प्रशांत भूषण और एएनआर।

1.3 न्यायिक आचरण के मानदंडों में यह प्रावधान है कि न्यायाधीश जनता में अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों को व्यक्त करना होता है

या मीडिया। न ही वे लगाए गए विभिन्न बेबुनियाद आरोपों की शुद्धता के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, सिवाय इसके कि जब वे मामले से निपट रहे हों। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की यह प्रतिष्ठा है कि वे इस संस्थान के प्रति कड़ी मेहनत और समर्पण से अर्जित किया है। उन्हें हर सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए।

आरोप लगाया और सार्वजनिक बहस में प्रवेश किया। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि जब वे बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की हानि का सामना नहीं करना पड़े, जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। न्यायपालिका को न्यायिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रवक्ता माना जाता है। वे व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। बार और बेंच एक ही प्रणाली यानी न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं, और समान प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। यदि न्यायाधीशों पर तीखा हमला किया जाता है, तो उनके लिए निडर होकर और मुद्दों पर निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। फैसले की आलोचना की जा सकती है। हालाँकि, न्यायाधीशों के उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लाता है न्याय के प्रशासन को बदनाम करना। [पैरा 35] [539-एच; 540-ए डी]

सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य (1995) 5 एस. सी. सी. 457: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 319; प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद अली और एक अन्य (2001) 8 एस. सी. सी. 650: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 675-निर्भर।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड

9 , पैरा 27 में-निर्दिष्ट।

1.4 अवमानकर्ता का निवेदन था कि यदि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (22) में प्रदान किए गए सद्भावना के बचाव को ध्यान में रखा जाता है, तो यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अवमानकर्ता द्वारा किया गया कार्य सद्भावना से किया गया था यदि यह ईमानदारी से किया गया था, तो लापरवाही से किया जा सकता है। टिप्पणियों के अवलोकन को न तो ईमानदारी से या सद्भावना से किया गया कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो 35 साल का वकील है, जिसने ट्वीट्स में दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय टिप्पणियां की हैं और जवाब में हलफनामे में किए गए बयानों से उन्हें बढ़ाया है, जिसका प्रभाव उस संस्था को बदनाम करने का है जिस पर [2020] 8 एस. सी. आर.

वह संबंधित है, ईमानदारी से या अच्छे विश्वास में बनाया जा सकता है। [पैरा 82] [577 जी-एच; 578-ए-बी]

रेनॉल्ड्स बनाम। टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड और अन्य (1999) 4 सभी ई. आर. 609- संदर्भित। -

1.5 अवमानकर्ता ने दिनांक 12.01.2018 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर किए गए कथनों को सही ठहराने की कोशिश की है।

चार वरिष्ठ-इस न्यायालय के सबसे अधिक न्यायाधीश। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, जिसकी अनुमति है न कि जिसकी अनुमति नहीं है। यह तय किया गया है कि नकारात्मक समानता का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है। सत्य इसका बचाव हो सकता है न्यायाधीश भी, लेकिन वे अपने न्यायिक मानदंडों, नैतिकता और आचार संहिता से बंधे होते हैं। इसी तरह, अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते वकीलों पर भी समान रूप से लागू होती है। बार काउंसिल द्वारा बनाए गए व्यावसायिक नैतिकता के नियम, हालांकि वैधानिक शक्ति के तहत बनाए गए हैं, स्वयं पेशे की कुलीनता को पूरी तरह से निर्धारित करने या प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पेशे की कुलीनता नैतिकता के नियमों को शामिल करती है। वकीलों को, एक वर्ग के रूप में, जनता द्वारा बुद्धिजीवियों के रूप में देखा जाता है। [पैरा 44] [552-डी-जी]

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक (2019) 16 एस. सी. सी. 407: [2019] 1 एससीआर 589; तहसीन पूनावाला बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2018) 6 एस. सी. सी. 72: [2018] 9 एससीआर 1 -

पर भरोसा किया।

1.6 हलफनामे में लिए गए बचाव को प्रामाणिक या जनहित में नहीं कहा जा सकता है। दोनों ट्वीट एक साथ उत्तर शपथ-पत्र में दिए गए कथन समग्र रूप से संस्था में जनता के विश्वास को हिलाने में सक्षम हैं। दूसरा ट्वीट यह धारणा बनाने में सक्षम है कि पिछले छह वर्षों में पूरे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। [पैरा 50] [565-ई-एफ]

कामिनी जैसवाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी 156: [2017] 13 एससीआर 189; डी. सी. सक्सेना बनाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश (1996) 5 एस. सी. सी. 216: [1996] 3 पूरक। एससीआर 677

पर भरोसा किया।

2.1 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि बोलने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का हिस्सा है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने आई. एन. आर. ई. के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा हैः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

हालाँकि, चर्चा उस हद तक नहीं जा सकती है जब इस तरह के हमले ने आम जनता के विश्वास को हिला दिया हो। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रदान करने का अधिकार शामिल है। और जानकारी प्राप्त करें, जिसमें राय रखने की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी राय बनाने और निष्पक्ष आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि ऐसी राय निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण है, तो उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर भी जोखिम होगा।

अवमानना क्षेत्राधिकार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि परिकल्पना की गई है

इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। समान रूप से संतुलित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। प्रेस की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है लोकतंत्र। एक व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली सोचने की प्रक्रिया और शब्दों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, तो यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। यदि वकीलों को उस संस्था के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण, निंदनीय और अपमानजनक आरोप लगाने की अनुमति दी जाती है, जिसका वे हिस्सा हैं, तो वकीलों का महान पेशा अपना सारा महत्व और आकर्षण और गरिमा खो देगा। वकीलों को निडरता से स्वतंत्र और मजबूत माना जाता है, लेकिन साथ ही संस्थान के प्रति सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए। [पैरा 81] [576-जी-एच]

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और एक अन्य (1978)

1 एससीसी 248: [1978] 2 इसके बाद एस. सी. आर. 621 आया।

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ओआरएस। , (1995) 2 एससीसी 161: [1995] 1 एस. सी. आर. 1036-- पर निर्भर था।

2.2 . न्यायालय ने पक्ष और विपक्ष, अधिकारों और सीमाओं को तौला है और उसके बाद एक सुविचारित निर्णय दिया है।

विश्वास के बारे में। आनुपातिकता पर विचार करने पर इस कथन को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि सिद्धांत [2020] 8 एस. सी. आर. को लागू किया जाए।

प्रतिबंधों के विरुद्ध मौलिक अधिकार और उस तर्कसंगतता का अर्थ है ठोस और प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता और आयात आनुपातिकता। [पैरा 83] [578-सी; 578-एफ]

मद्रास राज्य और अन्य। वी. वी. जी. रो (1952) एस. सी. आर. 597, चिंतामन राव और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य [1950] एस. सी. आर. 759, पापनासम श्रम संघ बनाम। मदुरा कोट्स लिमिटेड और अन्य। (1995) 1 एससीसी 501: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 369, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. मैकडॉवेल और कंपनी और अन्य। (1996) 3 एससीसी 709: [1996] 3 एस. सी. आर. 721, भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। वी. एल. आर. एस. द्वारा जी. गणयुथम (मृत)। (1997) 7 एससीसी 463: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 549; टेरी ओट एस्टेट (पी) लिमिटेड v. यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य। (2004) 2 एससीसी 130: [2003] 6 पूरक। एससीआर 1235; ओम कुमार और अन्य। वी. भारत संघ (यूओआई) (2001) 2 एससीसी 386: [2000] 4 पूरक। एससीआर 693, अनुज गर्ग और अन्य। वी. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। (2008) 3 एससीसी 1: [2007] 12 एस. सी. आर. 991; अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे रे. बोर्ड और ओआरएस। वी. के. श्याम कुमार और अन्य। (2010) 6

एससीसी 614: [2010] 6 एस. सी. आर. 291-संदर्भित।

3. विचाराधीन मामले में प्रेस या मीडिया में जाने वाले वकील और वादी एक और सवाल है जो इस मामले में सबसे आगे है।

बात है। मामले की सुनवाई करते हुए अवमानकर्ता ने प्रेस और मीडिया से बात की। दिनांक 1 के आदेश के अनुसार उनके द्वारा दिया गया बयान भी समाचार पत्र और मीडिया में विस्तार से, शब्द-दर-शब्द, पहले से ही प्रकाशित किया गया था। न्यायिक मामलों में, प्रेस को पहले से इस तरह का बयान जारी करना अनुचित कार्य है और न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने का प्रभाव पड़ता है और स्पष्ट रूप से न्यायालय के निर्णय को इसके प्रभाव से मजबूर करने का प्रयास है।

समाचार पत्र और मीडिया, जिनके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है

न्याय का निष्पक्ष प्रशासन और आगे स्वतंत्र न्यायिक निर्माण प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप के समान होगा जो प्रशासन की संस्था की नींव है

न्याय। यदि इस तरह की कार्रवाई किसी न्यायिक मामले में की जाती है, वह भी एक वकील द्वारा जो आपराधिक अवमानना का सामना कर रहा है, तो यह

वस्तुतः एक मंच या मंच का उपयोग करने के समान है जो नहीं है

नैतिक और कानूनी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष रूप से आपराधिक अवमानना के गंभीर मामले में और दोषसिद्धि के बाद इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है, यह इंगित करता है कि आरई में सहिष्णुता हैः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

न्यायालय का अनैतिक तरीकों का सहारा लेकर बिना किसी अच्छे कारण के परीक्षण किया जा रहा है। [पैरा 66] [572-सी-जी]

4. जहाँ तक ई. एम. में इस न्यायालय के निर्णयों के बीच असंगति का संबंध है। शंकरन नम्बूदरीपद और पी. एन. डूडा मामलों का संबंध है, दोनों निर्णयों में उल्लिखित कानूनी स्थिति एक ही है। हो सकता है कि एक मामले में उसी कानून को लागू करके अदालत ने पाया कि दिए गए बयान थे अवमाननापूर्ण और अन्य मामलों में न्यायालय ने पाया कि दिया गया बयान अवमाननापूर्ण नहीं था। [पैरा 71] [573-जी-एच; 574 ए]

* ई. एम. शंकरन नम्बूदरीपद बनाम। टी. नारायणन

नाम्बियार (1970) 2 एससीसी 325: [1971] 1 एस. सी. आर. 697; पी. एन. डूडा वी। पी. शिव शंकर और अन्य (1988) 3 एस. सी. सी. 167:

[1988] 3 एस. सी. आर. 547-पर निर्भर।

श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 963; बरदकांत मिश्रा बनाम। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और एक अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 374: [1974] 2 एससीआर 282; ब्रह्मा प्रकाश शर्मा और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1953] एस. सी. आर. 1169; पुनः हीरालाल दीक्षित और दो अन्य, [1955] 1 एससीआर

677 संदर्भित किया गया। -

5. अवमानकर्ता की दलीलें कि अवमानना का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट और औपनिवेशिक है, वास्तव में लिए गए दृष्टिकोण की समीक्षा करने के बराबर है

न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि निर्णय में। न्यायालय को प्रस्तुतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि निर्णय में उनकी सभी प्रस्तुतियों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। न्यायालय ने पूर्ण सावधानी, देखभाल और सावधानियों के साथ अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। सजा सुनाते समय, न्यायालय को व्यक्ति और वास्तविक प्रभाव के संबंध में निष्पक्षता के साथ कार्य करना होता है। इसलिए, न्यायालय इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है कि 14.08.2020 दिनांकित निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए।

[पारस 72,74 और 75] [574-डी; 574-जी-एच; 575-ए]

आर. वी. एल्मन (1965) विल्म 243; मैकलियोड बनाम। सेंट ऑबिन (1899) एसी 549 (पीसी), आर. वी. गैरी (1900) 2 क्यू. बी. 36 डी. सी. आर. वी. कोल्सली 9 मई 1931 डी. सी., धुरिका बनाम। निदेशक लोक अभियोजन (राष्ट्रमंडल वकीलों के)

एसोसिएशन इंटरवेनिंग); (2015) एसी 875, आर. वी.

ब्लैकबर्न (1968) 1 ऑल ई. आर. 763-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान और अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों पर दोषसिद्धि निर्णय में चर्चा की गई है और संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत प्रक्रिया क्या है। #Vijay कुर्ले मामले में विचार किया गया है। [पारस 76 और 78] [575 बी-सी; 575-एच]

अन्य वी। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय (2016) 14 एससीसी 251: [2016] 3 एस. सी. आर. 212 (77)-निर्दिष्ट

को।

#इन रेः विजय कुर्ले और ओआरएस। , (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी

407 उस पर भरोसा करें

7. यह किसी भी प्रासंगिकता का विषय नहीं होगा कि अवमानना याचिका की प्रति प्रदान की गई थी या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि

शुरू में इस न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसे इस न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष में रखा गया था, इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया था। याचिका का केवल वह भाग अर्थात अवमानकर्ता द्वारा किया गया पहला ट्वीट अवमानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के आधारों में से एक था। संबंधित ट्वीट का उल्लेख विशेष रूप से दिनांकित 22.07.2020 के आदेश में किया गया है। अवमानक के खिलाफ कार्यवाही के लिए याचिका के किसी अन्य भाग पर विचार नहीं किया गया था। जहां तक दूसरे ट्वीट का संबंध है, जो टाइम ऑफ इंडिया दिनांक 22.07.2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर था, अदालत ने उसी का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया था। एकमात्र आवश्यकता यह है कि न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने विशेष रूप से अवमानकर्ता को उस आधार के बारे में अवगत कराया जिसके आधार पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। इतना ही नहीं, बल्कि अवमानकर्ता ने उस आधार को समझा जिसके आधार पर न्यायालय कार्यवाही कर रहा था, जैसा कि उसके द्वारा जवाब में दायर हलफनामे से स्पष्ट है। [पैरा 80] [576-सी-जी]

अवमानना। जुर्माने की सजा के मामले में, अवमानकर्ता जुर्माना का भुगतान कर सकता है और फिर से अवमाननापूर्ण आचरण जारी रख सकता है। और फिर से। आपराधिक अवमानना को दूर करने के लिए कुछ और चाहिए। यहां तक कि माफी का एक बयान भी अवमानना को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आरई में वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना चाहिएः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

एक आदेश देने के लिए माफी का कि अवमानकर्ता ने खुद को अवमानना से मुक्त कर लिया है। अवमानना को समाप्त करने से पहले, अधिवक्ता को बनाए गए नियमों के नियम 11 के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) के तहत, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि यदि अधिवक्ता को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है, तो किसी भी अदालत में कार्य करने या अभिवचन करने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। [पैरा 38] [548-एफ-एच; 549-ए]

प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद अली और एक अन्य (2001) 8 एस. सी. सी. 650 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 675; बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। केरल उच्च न्यायालय (2004) 6 एस. सी. सी. 311: [2004] 1 पूरक। एस. सी. आर. 649; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम।

भारत संघ (1998) 4 एससीसी 409: [1998] 2 एससीआर 795; रोशन लाल आहूजा, पुनः: (1993) सप. 4 एससीसी 446:

[1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 257 पर भरोसा किया।

' न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 'में अपनाया गया

नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

सितंबर 18-19,1992-संदर्भित।

न्याय के प्रशासन की प्रणाली का हिस्सा और जो उक्त प्रणाली के प्रति कर्तव्य रखता है, ऐसे ट्वीट करना जो आम जनता के विश्वास को हिलाने और आगे करने में सक्षम हों। हलफनामे में बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं जिससे उक्त संस्था को और बदनाम करने का प्रयास किया गया है। जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्य को, जो इस प्रणाली का हिस्सा है, नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

[पैरा 51] [565-जी-एच]

8.3 इस तरह की टिप्पणी/ट्वीट करने का कोई औचित्य नहीं है, खासकर जब यह 35 साल के वकील द्वारा किया जाता है।

जो न्यायालय का अधिकारी हो और अधिवक्ताओं को व्यवस्था में समान गरिमा प्राप्त हो। महान्यायवादी के इस आग्रह के बावजूद कि बचाव में किए गए कथनों को वापस लिया जाना चाहिए और खेद व्यक्त किया जाना चाहिए, अवमानकर्ता के वकील ने कहा कि अवमानकर्ता जवाब में लिए गए बचाव को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यह आगे यह स्पष्ट करता है कि अनुचित बचाव और इसके साथ जाने के आग्रह के साथ जोर देते हुए पूरे प्रकरण को ऐसा बना देता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 52] [566-ए-बी]

8.4 केवल इसलिए कि एक वकील सार्वजनिक भलाई के लिए जनहित याचिका दायर करने में शामिल है, यह उसे [2020] 8 एस. सी. आर.

उस प्रणाली को नुकसान पहुँचाना जिसका वह हिस्सा है। हालांकि एक आम नागरिक से अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, कर्तव्य और

लंबे समय तक रहने वाले वकील से जो अपेक्षाएँ की जाती हैं, वे उच्च पक्ष पर होती हैं। एक अधिवक्ता अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी को नहीं भूल सकता है और इस प्रणाली को ही बदनाम नहीं कर सकता है।

वह एक अभिन्न अंग है। निष्पक्ष आलोचना को चुप नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन एक अधिवक्ता को खुद को याद दिलाना होगा कि वह कहाँ औचित्य के क्षेत्र को पार करता है, और न्यायालय इसे लगातार अनदेखा नहीं कर सकता है, और व्यवस्था को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। जब आलोचना दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय आरोपों में बदल जाती है जिससे जनता और समग्र रूप से संस्थान का विश्वास कम हो जाता है, तो ऐसी आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 53] [566-सी-ई]

8.5 जहां तक अवमानकर्ता की याचिका का संबंध है कि न्यायालय को कुछ लोगों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों पर विचार करना चाहिए

सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पत्रकार और अन्य, इस तथ्य पर आधारित हैं कि न्यायालय को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में व्यक्त राय से प्रभावित होना चाहिए, जब न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो। न्यायालय सार्वजनिक मंच पर व्यक्त की गई इस तरह की राय से निर्देशित नहीं हो सकता है और न्यायालय अपने न्यायिक कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए मीडिया द्वारा किए गए मुकदमे और जनमत के आधार पर अपना निर्णय नहीं देता है। न्यायालय अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है और उसे मीडिया में प्रकाशित विभिन्न लेखों में प्रकाशित बयानों और उसमें व्यक्त की गई राय से अप्रभावित रहना होगा। उसे इस तरह की राय से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करना होगा। [पैरा 54] [566-एफ-एच; 567-ए]

अटॉर्नी-जनरल वी। टाइम्स न्यूजपेपर लिमिटेड (1973) 3 सभी

ई. आर. 54-संदर्भित।

8.6 न्यायालय इस याचिका से विचलित नहीं है कि इस न्यायालय की आलोचना की जाएगी, यदि वह किसी को भी सजा देता है

सम्माननीय। न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते समय, न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि वह जो निर्णय देता है, उसके लिए उसकी प्रशंसा या आलोचना की जाएगी या नहीं। न्यायालय को अपनी धारणा और समझ के आधार पर कानून के आधार पर मामलों का फैसला करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय को अपनी निष्पक्ष आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। [पैरा 57] [567-जी-एच; 568-ए]

आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106 [2009] 11 एस. सी. आर. 1026; रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वी. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज-पेपर्स के मालिक

बॉम्बे प्रा. लिमिटेड और अन्य (1988) 4 एससीसी 592: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 212; महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेंद्र इन आरईः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

जवानमल गांधी (1997) 8 एस. सी. सी. 386 [1997] 4 सप्लीमेंट। एससीआर 68; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498: [2009] 9 एससीआर 90

पर भरोसा किया।

सी. जे. मिलर द्वारा न्यायालय की अवमानना, तीसरा संस्करण-संदर्भित

को।

8.7 याचिका यह ली गई थी कि सजा सुनाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक अपराधी हैं,

अपराध और वैधानिक या अन्य बचाव। अपराधी के संबंध में, वह 35 साल का वकील है और उसने विभिन्न जनहित याचिकाओं को भी चलाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को संतुलित करते समय यह एक प्रासंगिक कारक होगा। हालाँकि, साथ ही, बचाव के रूप में सच्चाई का पीछा करने के लिए हलफनामे में दिए गए अनावश्यक बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि, 2009 में इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में विभिन्न प्रश्न तैयार किए गए हैं जिनका उत्तर देना होगा, इसलिए उक्त अवमानना याचिका के लंबित होने को वर्तमान मामले में सजा के प्रश्न पर प्रतिबिंबित करने का एक कारक नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि वर्तमान महान्यायवादी ने भी अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था जो इस अदालत के समक्ष लंबित है। [पारस 68 और 69] [573-सी-ई]

रीः टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू (2013) Cr.L.J. 932

प्रतिष्ठित।

8.8 दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने के बाद भी, अवमानकर्ता द्वारा कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया गया है, न ही माफी मांगी गई है। यह तर्क दिया गया था कि अवमानकर्ता से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिनांक 24.08.2020 के पूरक बयान में, अवमानकर्ता ने कहा है कि 66 "सुनवाई में अदालत ने मुझे अदालत में दिए गए बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लेने के लिए कहा।" हालांकि, आदेश में विशेष रूप से कहा गया है, "हमने अवमानकर्ता को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया है, अगर वह चाहता है।" यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से बोलता है। कार्यवाही के दौरान आभासी आदान-प्रदान वह नहीं है जो न्यायालय का आदेश है, बल्कि यह सुनवाई के दौरान उस आदान-प्रदान की एक अस्थायी अभिव्यक्ति हो सकती है। हालाँकि, अंततः जो अंतिम है वह न्यायालय का आदेश है, जिस पर इसकी मुहर है। बेहतर होता कि पूरक कथन में उपरोक्त भाग का उल्लेख न किया गया होता, लेकिन न्यायालय किसी को भी कोई बयान देने से नहीं रोक सकता है, लेकिन यह एक उचित बयान नहीं है कि [2020] 8 एस. सी. आर.

न्यायालय के आदेश में शब्द रहे हैं। अदालत ने अवमानकर्ता को माफी जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "यदि वह चाहता है" तो बिना शर्त माफी जमा करने के लिए समय दिया गया था। इसे प्रस्तुत करना या न करना उनका निर्णय था। हालाँकि, उन्होंने एक पूरक बयान प्रस्तुत करने का फैसला किया है। इच्छा है। महान्यायवादी का यह कहना कि उसे/अवमानकर्ता को आरोप वापस लेना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए, भी अनसुना कर दिया गया है। तत्काल मामले में सरल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। [पारस 84 और 87] [579-सी-एच; 581-बी]

आंद्रे पॉल टेरेंस एम्बर्ड बनाम। त्रिनिदाद और टोबैगो के अटॉर्नी जनरल (1936) ऑल ई. आर. 704-संदर्भित।

8.9 इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते समय प्रणाली की निष्पक्ष आलोचना का स्वागत है और न्यायाधीश तब भी अति संवेदनशील नहीं हो सकते जब विकृतियाँ और आलोचनाएँ सीमा को पार कर जाती हैं। हालांकि, इसे दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान देने की अनुमति देने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। न्यायालय को केवल उस मामले में कार्रवाई करनी होती है जहां हमला एक अनुमेय सीमा से परे है, कानून का मजबूत हाथ उस पर प्रहार करता है जो

कानून के शासन की सर्वोच्चता को उसके स्रोत और धारा को दूषित करके चुनौती देता है। न्यायालय ने उपरोक्त दिशानिर्देशों और मानकों को लागू किया है। [पारस 85 और 86] [580-ए-सी]

रीः एस. मुलगांवकर (1978) 3 एस. सी. सी. 339: [1978] 3 एससीआर

162 संदर्भित किया गया।

इस न्यायालय के लिए अदालत में वकालत करने से रोकने के लिए भी खुला है। न्यायालय अवमानकर्ता को कारावास की सजा देने या उसे इस प्रथा से वंचित करने से नहीं डरता है। बिनि। आचरण दृढ़ता और अहंकार को दर्शाता है, जिसका न्याय प्रशासन की प्रणाली और नेक पेशे में कोई स्थान नहीं है, और जिस संस्था से वह संबंधित है, उसे हुए नुकसान के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया जाता है। साथ ही, न्यायालय केवल इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि अवमानकर्ता ने यह बयान दिया है कि वह न तो इस न्यायालय की उदारता या दया का आह्वान कर रहा है और

वह उस दंड के अधीन होने के लिए तैयार है जो न्यायालय द्वारा अपराध निर्धारित किए जाने के लिए उस पर कानूनी रूप से लगाया जा सकता है। [पैरा 89] [581-सी-ई]

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) 4 एससीसी 409: [1998] 2 एस. सी. आर. 795-पर निर्भर।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

8.11 न्यायालय, शुरू से ही, चाहता था

वाक्य। अवमानकर्ता द्वारा किया गया कार्य बहुत गंभीर है। उन्होंने प्रतिष्ठा को बदनाम करने का प्रयास किया है न्याय प्रशासन की संस्था जिसका वह स्वयं एक हिस्सा है। [पारस 90 और 91] [581-एफ-एच; 582-ए]

8.12 अवमानकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए

यदि न्यायालय इस तरह के आचरण का संज्ञान नहीं लेता है, तो यह पूरे देश में वकीलों और वादियों को गलत संदेश देगा। हालाँकि, उदारता दिखाते हुए, किसी भी गंभीर दंड को लागू करने के बजाय, अवमानक को 1/- रुपये (एक रुपया) के मामूली जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। इसे इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर उसे एक साधारण प्रक्रिया से गुजरना होगा। तीन महीने की अवधि के लिए कारावास और आगे तीन साल की अवधि के लिए इस न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

[पारस 92 और 93] [582-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भ

[2015] 5 एससीआर 963

पै

रा 2 (iv)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2 (iv)

[1974] 2 एससीआर 282

संदर्भित किया गया है

[1953] एससीआर 1169

पै

रा 2 (vi)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 677

पै

रा 2 (vi)

संदर्भित किया गया है

(2010) 8 एस. सी. सी. 281

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2014] 13 एससीआर 581

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 पूरक। एससीआर 319

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2001] 3 पूरक। एससीआर 675

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[2004] 1 पूरक। एससीआर 649

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1998] 2 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

उस पर भरोसा करें

[1992] 3 पूरक। एससीआर 257

पैरा

42 [2020] 8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 एससीआर 589

उस पर भरोसा करें

[2019]

पै

रा

[2018] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2017] 13 एससीआर 189

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1996] 3 पूरक। एससीआर 677

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2009] 11 एससीआर 1026

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1988] 3 पूरक। एससीआर 212

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1997] 4 पूरक। एससीआर 68

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2009] 9 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1971] 1 एससीआर 697

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1988] 3 एससीआर 547

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2000] 1 एससीआर 367

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2001] 1 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2016] 3 एस. सी. आर. 212

संदर्भित किया गया है

पै

रा

(2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 407 पर भरोसा किया गया

पै

रा

[1978] 2 एससीआर 621

पीछा किया।

पै

रा

[1995] 1 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[1952] एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1950] एससीआर 759

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1994] 6 पूरक। एससीआर 369

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1996] 3 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1997] 3 पूरक। एससीआर 549

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1235

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2000] 4 पूरक। एससीआर 693

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2007] 12 एससीआर 991

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[2010] 6 एससीआर 291

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1978] 3 एससीआर 162

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[1998] 2 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पै

रा

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः सुओ मोटू अवमानना याचिका

2020 का नंबर 1।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

जानबूझकर और जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली याचिका

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, दुष्यंत ए. दवे, राजीव धवन, चंद्र उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कामिनी जैसवाल, रोहित कुमार सिंह, सुश्री नेहा राठी, सुश्री रानी मिश्रा, सुश्री चेरिल डिसूजा, सुश्री हिमा लॉरेंस, प्रसन्ना एस., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

प्रशांत भूषण (प्रतिवादी-व्यक्तिगत रूप से)

न्याय

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

वकील और अवमानक-श्री प्रशांत भूषण। 2. श्री प्रशांत भूषण, अधिवक्ता, को दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद, डॉ. राजीव धवन और

अवमाननाकर्ता श्री प्रशांत भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने निम्नलिखित तर्क दिएः -

(i) उस याचिका की प्रति जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा पहले ट्वीट के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया गया था,

अवमानकर्ता द्वारा आवेदन दायर किए जाने के बावजूद, श्री महक माहेश्वरी द्वारा दायर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह पता नहीं चल सका कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी या व्यक्तिगत रूप से या राजनीति से प्रेरित थी।

((ii) सजा सुनाने के लिए प्रासंगिक कारक अपराधी, अपराध, दोषसिद्धि निर्णय, वैधानिक या न्याय, सत्य, प्रामाणिकता और प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित में पर्याप्त हस्तक्षेप से संबंधित अन्य बचाव हैं।

((iii) अवमानकर्ता 35 वर्षों का एक वकील है, जिसने कुछ व्यक्तिगत और कानूनी मामलों में सफलतापूर्वक जनहित याचिका दायर की है। पेशेवर लागत। उन्हें अदालत से सराहना मिली। वह न्यायिक जवाबदेही अभियान के संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें कई प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील शामिल हैं। उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के मामलों और कारणों को अदालत में लाया है जैसे कि वी. रामास्वामी मामला, कोयला खनन मामला, गोवा खनन मामला, उड़ीसा खनन मामला, सीवीसी की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा, सीबीआई निदेशक का मामला, लोकपाल मामला आदि। जनहित में उन्होंने नर्मदा मामला, बोफोर्स मामला, पुलिस सुधार मामला, निष्क्रिय इच्छामृत्यु मामला, एचपीसीएल निजीकरण मामला, स्ट्रीट वेंडर्स मामला, रिक्शा पुलर्स मामला, सिंगूर भूमि अधिग्रहण मामला जैसी कई याचिकाएं दायर की हैं।

कर प्रबंधन, ग्राम न्यायालय और चुनावी बॉन्ड मामले।

((iv) सजा देते समय अपराधों की प्रकृति एक अन्य घटक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए; (i) अपराध बिना अस्पष्टता के स्पष्ट होना चाहिए। ((ii) संभावित अपराधी को यह जानना/समझना चाहिए कि वह अपराध का दोषी है या नहीं। न्यायालय को बदनाम करने का अपराध कुख्यात रूप से अस्पष्ट है। इसे क़ानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। इसे कहा जाता है

" अस्पष्ट और भटकता हुआ अधिकार क्षेत्र। रिलायंस को श्रेया सिंघल बनाम पर रखा गया है। भारत संघ, 2015 (5) एससीसी 1. इस तरह के अपराध को सावधानी से संभाला जाना चाहिए और संयम से उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि बारदाकांत मिश्रा बनाम में देखा गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और एक अन्य, (1974) 1 एस. सी. सी. 374। अस्पष्टता के कारण दोषसिद्धि और सजा से संबंधित विभिन्न निर्णयों में विसंगति है।

(v) अवमानना का अधिकार क्षेत्र ही निंदनीय है और अस्पष्ट और औपनिवेशिक है। कई फैसलों पर भरोसा किया गया है जहां अदालत ने

ऐसे मामलों में अवमानना की शुरुआत भी नहीं की है। कुछ देशों में अवमानना कानून को एक पुराना कानून होने के कारण पहले ही समाप्त कर दिया गया है

के साथ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राय के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

वी. टी. नारायणन नांबियार, (1970) 2 एस. सी. सी. 325, को पी. एन. डूडा (सुप्रा) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जहाँ तक ई. एम. शंकरन में निर्णय का संबंध है नम्बूदरीपद (ऊपर) का संबंध है, यह प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि पी. एन. डूडा (ऊपर) ने इसे खारिज कर दिया है। इसी तरह,

सी. के. डाफ्टरी एंड ओआरएस में निर्णय पर निर्भरता। वी. ओ. पी. गुप्ता और अन्य। , (1971) 1 एस. सी. सी. 626 भी प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उक्त निर्णय न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'अधिनियम') के संशोधन से पहले दिया गया है, जिसके अनुसार धारा 13 (बी) को क़ानून की पुस्तक में लाया गया था, ताकि सच्चाई को बचाव के रूप में अनुमति दी जा सके। न्यायालय को बहुत सावधानी और सावधानी के साथ अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा और केवल उन मामलों में जो उचित संदेह से परे स्पष्ट हैं। इन रेः एस. मुलगांवकर, (1978) 3 एस. सी. सी. 339, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। वे हैं, विचारों का मुक्त बाजार, जनहित में सद्भावना से उचित आलोचना, आसपास की परिस्थितियाँ, टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, उस क्षेत्र में उसका ज्ञान जिसके बारे में टिप्पणी की जाती है और इच्छित उद्देश्य। इन सभी दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद, एक अधिवक्ता को केवल उस मामले में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए दंडित किया जाना चाहिए जहां आई. एन. आर. ई.:

न्यायिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए असंतोष और बदनामी पैदा करने की प्रवृत्ति है। यद्यपि दोषी ठहराए जाने वाले निर्णय में एक ओर विभिन्न बातों का उल्लेख किया गया है

संतुलन पर निर्णय, इसके विपरीत, अवमानकर्ता को उसके द्वारा की गई निष्पक्ष आलोचना के लिए दोषी ठहराता है।

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 129,215 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के बीच कोई टकराव नहीं है। पल्लव सेठ बनाम। अभिरक्षक और अन्य। , (2001) 7 एससीसी 549 , यह निर्धारित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए सजा की शक्तियों का प्रयोग अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुरूप किया जाना चाहिए।

(viii) इसके अलावा, अधिनियम की धारा 8 और 9 और नई संशोधित धारा 13 (ए) के प्रावधानों के लिए आवश्यक है कि न्यायालय तब तक कोई सजा नहीं दे सकता जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अवमानना ऐसी प्रकृति की है जो न्याय के नियत पाठ्यक्रम में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करती है या पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार, हस्तक्षेप की सीमा की जांच करने के लिए न्यायालय पर विशेष जिम्मेदारी डाली जाती है। नव संशोधित धारा 13 (ए) के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय को स्वयं स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। हालाँकि, दोषसिद्धि निर्णय में ऐसी कोई जांच नहीं हुई है और इस तरह सजा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। सत्य को आम तौर पर बचाव के रूप में तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि यह न्यायालय को बदनाम करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के परिणामों से बचने के लिए केवल एक छलावा है। अधिनियम की धारा 13 न्यायालय को सक्षम बनाती है

वादी न्याय तक वास्तविक पहुँच से वंचित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस राय को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से भी समर्थन मिलता हैः महामारी से प्रभावित बार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता (सुओ मोटो रिट याचिका संख्या 8,2020) में कहा गया है कि न्यायालयों के भौतिक कामकाज के निलंबन के कारण, वकील अपनी आजीविका कमाने के स्रोतों से वंचित हो गए हैं।

(ix) दूसरे ट्वीट के संबंध में, यह फिर से श्री प्रशांत भूषण की राय की अभिव्यक्ति है। यह राय प्रस्तुत की गई थी कि

इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित कई अन्य लोगों द्वारा साझा किया गया है। इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा 12.01.2018 पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया था। उच्चतम न्यायालय और [2020] 8 एस. सी. आर. की भूमिका।

अंतिम चार मुख्य न्यायाधीशों का विवरण उत्तर शपथ पत्र में दिया गया है। जवाब को विवरण और सामग्री द्वारा समर्थित किया गया है और श्री भूषण कैसे और क्यों राय बनाने के लिए आए, जो ट्वीट में परिलक्षित होता है। दोषसिद्धि निर्णय में सच्चाई के बचाव की बिल्कुल भी जांच नहीं की गई थी और अधिनियम की धारा 13 (बी) के अनुपालन में सजा के चरण में इसकी जांच की जानी चाहिए।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है। वहाँ बनाने की स्वतंत्रता है राय दें। प्रेस के लिए सद्भावना से प्रकाशन का सुझाव दिया गया है, जैसा कि धारा 3 (22) में सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित किया गया है, यह एक वैध बचाव है, अगर ईमानदारी से किया जाता है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं।

(xi) यह प्रस्तुत किया गया था कि के सिद्धांत को लागू करते समय

आनुपातिकता संतुलन को प्रतिबंधों के विपरीत अधिकारों के पक्ष में झुकना होगा, क्योंकि अधिकार प्रकृति में मौलिक हैं। अवमानक के विचार प्रामाणिक और द्वेष रहित थे।

इस प्रकार, दोषसिद्धि के संबंध में निर्णय को वापस लेने की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में, कोई सजा नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्णय जांच के लिए खुले हैं और इस न्यायालय को इसका स्वागत करना चाहिए

आम नागरिक द्वारा आलोचना सहित मुखर टिप्पणियां।

(xii) किसी अधिवक्ता को उपस्थित होने से रोकना केवल दुर्लभ मामलों में, अंतिम उपाय के रूप में, आवश्यक सूचना देने के बाद ही किया जाना है। उसी तरह, जैसा कि आर. के. आनंद बनाम में आयोजित किया गया था। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) 8 एस. सी. सी. 106।

(xiii) अवमानकर्ता को इस आधार पर माफी मांगने के लिए मजबूर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ और स्वीकार्य नहीं होगा।

3. कार्यवाही की शुरुआत में ही हमने भारत के जाने-माने महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल से हमें संबोधित करने के लिए कहा था। सुबह के सत्र में हमने उन्हें बहुत लंबे समय तक सुना है। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि इस न्यायालय को उदारता दिखाते हुए श्री प्रशांत भूषण को कोई सजा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि

श्री प्रशांत भूषण द्वारा किए गए ट्वीट को संस्था के कामकाज में सुधार के लिए वास्तविक आलोचना माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न जनहित याचिकाओं में श्री प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत कारणों और आई. एन. आर. ई. लाकर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए:

प्रशांत भूषण और एएनआर।

4. जब अवमानकर्ता द्वारा जवाब में हलफनामे में दिए गए विभिन्न बयानों के साथ विरोध किया गया, तो विद्वान अटॉर्नी जनरल ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि ऐसे बयान आवश्यक नहीं थे। 5. उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के बयानों को या तो अवमानकर्ता द्वारा वापस लिया जाना चाहिए या दलीलों से हटा दिया जाना चाहिए। आगे कब

उसी अवमानकर्ता के खिलाफ एक कार्यवाही में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि श्री प्रशांत भूषण ने एक कागज के टुकड़े पर खेद व्यक्त किया था, इसलिए उन्होंने उक्त अवमानना कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। विद्वान महान्यायवादी वर्ष 2009 में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में श्री प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए बयान को पढ़ने का प्रयास किया गया, जिसमें श्री प्रशांत भूषण ने खेद व्यक्त किया था। हालाँकि, जब विद्वान महान्यायवादी को यह बताया गया कि उक्त बयान वर्तमान कार्यवाही से संबंधित नहीं था, बल्कि पिछली कार्यवाही से संबंधित था, तो विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि जब श्री प्रशांत भूषण ने अन्य कार्यवाही में खेद व्यक्त किया था, तो इसका कोई कारण नहीं है कि उन्हें वर्तमान कार्यवाही में भी खेद व्यक्त क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में इसे खेद के रूप में माना जा सकता है

6. विद्वान महान्यायवादी को सुनने के बाद, हमने अवमाननाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन को विस्तार से सुना। विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन की ओर से की गई दलीलें पहले ही ऊपर बताई जा चुकी हैं।

7. डॉ. धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, हमने फिर से विद्वान अटॉर्नी जनरल को संबोधित करने के लिए बुलाया।

विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन द्वारा अवमानकर्ता की ओर से की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए। विद्वान महान्यायवादी ने यह कहने के लिए पर्याप्त न्यायसंगत था कि [2020] 8 एस. सी. आर. की ओर से जोर दिया गया था।

अभिवचन में दिए गए विभिन्न आपत्तिजनक बयानों को लागू करने के लिए दबाव डालना न्यायसंगत नहीं था और न्यायोचित भी नहीं था। वह निष्पक्षता से

उन्होंने कहा कि न्याय प्रशासन के हित में अवमानकर्ता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयान, जो पूर्व और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों सहित इस न्यायालय के विभिन्न वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित थे, पूरी तरह से अनुचित थे, विशेष रूप से तब जब सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे न्यायाधीशों को सुने बिना कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, और इस तरह, प्रक्रिया यह अंतहीन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। विद्वत महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन की अवधि से यह स्पष्ट था कि विद्वत महान्यायवादी शपथपत्र में अवमानकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के कारण दुखी था।

8. हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी ने इस न्यायालय की उदारता की अपील की और प्रस्तुत किया कि अवमानना करने वाले को सजा देने के बजाय

इस न्यायालय को किसी भी सजा के साथ उसे न्यायाधीशों या न्याय प्रशासन की संस्था के संबंध में कोई भी बयान देते समय सावधान रहने के लिए उदारता से चेतावनी देनी चाहिए और उसे आगे इस तरह के किसी भी कार्य को न दोहराने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवमानना करने वाले को सही संदेश भेजने के अलावा, यह बार के सभी सदस्यों के साथ-साथ देश भर के सभी नागरिकों को एक उचित संदेश भी भेजेगा कि किसी भी बयान को देते समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए।

न्यायाधीशों या न्याय प्रशासन की संस्था के संबंध में। विद्वान महान्यायवादी ने कई मौकों पर दोहराया कि इस न्यायालय द्वारा उदारता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया

कि इस न्यायालय को उदारता दिखाते हुए उसे सजा सुनाने के बजाय चेतावनी देकर इस मामले को शांत करना चाहिए।

9. दलीलों के दौरान, यह भी श्री धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील के ध्यान में लाया गया था, तथ्य यह है कि इससे पहले

अदालत में दायर किए जाने से पहले अवमानकर्ता का पूरक बयान दिनांक 24.08.2020, इसे 24/25.08.2020 पर मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. धवन के ध्यान में यह भी लाया गया कि अवमानकर्ता ने वर्तमान कार्यवाही के संबंध में या तो प्रेस साक्षात्कारों में या वेबिनारों में विभिन्न बयान दिए थे, जो वर्तमान कार्यवाहियों को प्रभावित करने का प्रभाव है और क्या वादी के कहने पर ऐसा कार्य कानून में अनुमत था।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने निष्पक्ष रूप से कहा कि अवमानकर्ता के पूरक बयान का प्रकाशन विभिन्न प्रिंटों में भी किया गया है। जैसा कि अन्य मीडिया पहले से उचित नहीं था, और उन्होंने यह भी कहा कि नहीं आईएनआरईः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

वकील या वादी को या तो साक्षात्कार देना चाहिए, प्रेस से बात करनी चाहिए या किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे के संबंध में कोई बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि फैसला सुनाए जाने के बाद फैसले की निष्पक्ष आलोचना कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान कोई भी बयान देना या प्रेस साक्षात्कार देना स्वीकार्य नहीं है।

11. जब डॉ. धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील को इस स्थिति का सामना करना पड़ा कि कैसे बैठक के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिन्हें किसी से बात करने या साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है, उनका बचाव कर सकते हैं।

उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर डॉ. धवन ने जवाब दिया कि हालांकि इस अदालत को अवमानना करने वाले को उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स के लिए फटकार नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इस अदालत को न्यायाधीशों और न्याय प्रशासन की संस्था के संबंध में कोई भी बयान देते समय वकीलों और वादियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अवमानकर्ता को सही संकेत देने के अलावा देश में बार के सभी सदस्यों को भी एक संकेत देगा।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. धवन ने यह भी कहा कि हमें मीडिया में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना पर विचार करना चाहिए और यदि कोई सजा दी जाती है, तो अदालत को आगे का सामना करना पड़ेगा।

आलोचना।

इन रेः रक्षा

13. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने आग्रह किया है कि दोषी ठहराते समय अवमानकर्ता के बचाव को ध्यान में नहीं रखा गया था

आपराधिक अवमानना के लिए। उन्होंने किसी भी सजा को लागू करने से पहले सेवा में बचाव पक्ष पर जांच करने का दबाव डाला। हम बचाव की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री प्रशांत भूषण की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे ने अनुच्छेद 38 तक के जवाब में हलफनामे की कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद 05.08.2020 पर बहस करते हुए कहा कि वह बचाव पक्ष के पास नहीं जाएंगे क्योंकि इसे पढ़ने से इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को और नुकसान होगा। चूंकि उन्होंने बचाव पक्ष को सेवा में नहीं लगाया, इसलिए इसे ध्यान में रखने का कोई अवसर नहीं था, विशेष रूप से, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान को देखते हुए।

14. अवमानकर्ता द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो इस न्यायालय के समक्ष किया गया था और उसके द्वारा पढ़ा गया था।

20.08.2020 पर अवमानना, जो निम्नानुसार हैः

" मैंने इस माननीय न्यायालय के फैसले को पढ़ा है। मुझे दुख है कि मुझे [2020] 8 एस. सी. आर. की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत जिसकी महिमा को मैंने किसी व्यक्तिगत और पेशेवर कीमत पर तीन दशकों से अधिक समय तक एक दरबारी या चीयरलीडर के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र रक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। मुझे दुख हुआ है, इसलिए नहीं कि मुझे दंडित किया जा सकता है, बल्कि इसलिए कि मुझे बहुत गलत समझा गया है।

मैं हैरान हूं कि अदालत ने मुझे प्रशासन की संस्था पर "दुर्भावनापूर्ण, निंदनीय, सुनियोजित हमले" का दोषी ठहराया है।

न्याय की। मैं निराश हूं कि अदालत इस पर पहुंची है।

इस तरह के हमले को शुरू करने के मेरे उद्देश्यों का कोई सबूत दिए बिना निष्कर्ष निकालना। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं निराश हूं कि अदालत ने मुझे शिकायत की एक प्रति के साथ पेश करना आवश्यक नहीं पाया, जिसके आधार पर स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया गया था, और न ही मेरे द्वारा दिए गए विशिष्ट कथनों का जवाब देना आवश्यक पाया।

मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि अदालत को लगता है कि मेरे ट्वीट का इस महत्वपूर्ण आधार को अस्थिर करने का प्रभाव है भारतीय लोकतंत्र का स्तंभ "। मैं केवल यह दोहरा सकता हूं कि ये दोनों ट्वीट मेरे प्रामाणिक विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य होनी चाहिए। वास्तव में, न्यायपालिका के स्वस्थ कामकाज के लिए सार्वजनिक जांच वांछनीय है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए किसी भी संस्था की खुली आलोचना आवश्यक है। हम अपने इतिहास के उस क्षण से गुजर रहे हैं जब उच्च सिद्धांतों को नियमित दायित्वों से आगे निकल जाना चाहिए, जबकि संवैधानिक व्यवस्था को बचाना व्यक्तिगत और व्यावसायिक अच्छाइयों से पहले आना चाहिए।

हमारे गणतंत्र का इतिहास। मैंने अनुपस्थिति की मानसिकता में ट्वीट नहीं किया। यह मेरी ओर से निष्ठाहीन और तिरस्कारपूर्ण होगा। उन ट्वीट्स के लिए माफी मांगना जो व्यक्त करते हैं कि मेरा वास्तविक विश्वास क्या था और क्या बना रहेगा। इसलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने मुकदमे में जो कहा था, मैं उसकी विनम्रता से व्याख्या कर सकता हूं: मैं दया नहीं माँगता। मैं उदारता की अपील नहीं करता। इसलिए, मैं यहां खुशी-खुशी किसी भी दंड का सामना करने के लिए हूं जो अदालत द्वारा अपराध के रूप में निर्धारित किए जाने के लिए कानूनी रूप से मुझ पर लगाया जा सकता है, और जो मुझे एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य प्रतीत होता है। इन आरई:

प्रशांत भूषण और एएनआर।

15. अवमानकर्ता ने इस न्यायालय में 20.08.2020 पर दिए गए बयान में कहा कि न्यायालय ने जवाब देना आवश्यक नहीं समझा

उत्तर शपथ-पत्र में उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कथन। अवमानकर्ता अपने वकील के साथ मौजूद था, और जो आग्रह किया गया था उसे ध्यान में रखा गया था। जब हमने अवमाननाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे को 05.08.2020 पर सुना, तो अवमाननाकर्ता वहां बहुत मौजूद था और हमने इसे स्वीकार कर लिया था

प्रस्तुतियों पर विचार करें जो की उपस्थिति में किए गए थे सम्माननीय।

16. दोषसिद्धि के निर्णय के बाद, जब इस न्यायालय ने अवमानकर्ता को बिना शर्त माफी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, यदि वह चाहता है, श्री प्रशांत भूषण द्वारा 24.08.2020 पर निम्नलिखित प्रभाव से पूरक वक्तव्य दिया गया हैः -

" यह बहुत खेद के साथ है कि मैंने इस माननीय न्यायालय के 20 अगस्त के आदेश को पढ़ा। सुनवाई में अदालत ने मुझसे कहा कि

अदालत में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय लें। हालाँकि, आदेश में बाद में कहा गया हैः " हमने अवमानकर्ता को समय दिया है कि अगर वह चाहे तो बिना शर्त माफी मांगे।

जब मेरी ओर से किसी गलती या गलत काम के लिए माफी मांगने की बात आती है तो मैं कभी भी समारोह में खड़ा नहीं हुआ। इस संस्थान की सेवा करना और इसके सामने कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को लाना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। मैं अनुभव के साथ जी रहा हूँ।

उच्चतम न्यायालय की संस्था के लिए।
मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, निगरानी संस्थाओं की सुरक्षा के लिए आशा का अंतिम गढ़ है

और वास्तव में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए भी। इसे सही मायने में लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली अदालत कहा गया है, और अक्सर दुनिया भर की अदालतों के लिए एक उदाहरण है। आज इन परेशान करने वाले समय में, भारत के लोगों की उम्मीदें इस न्यायालय में निहित हैं कि वह कानून और संविधान का शासन सुनिश्चित करे, न कि एक अनियंत्रित शासन।

कार्यपालक से।
यह एक कर्तव्य है, विशेष रूप से मेरे जैसे इस न्यायालय के एक अधिकारी के लिए, बोलने के लिए, जब मुझे लगता है कि इससे एक विचलन है

शानदार रिकॉर्ड। इसलिए, मैं अपने आप को अच्छी भावना से व्यक्त करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी विशेष मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक आलोचना करने के लिए ताकि अदालत संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी लंबे समय से चली आ रही भूमिका से किसी भी तरह के भटकाव को रोक सके।

और लोगों के अधिकारों के संरक्षक।

मेरे ट्वीट इस प्रामाणिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे मैं बरकरार रखता हूं। मेरा मानना है कि इन मान्यताओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति एक नागरिक और इस अदालत के एक वफादार अधिकारी के रूप में मेरे उच्च दायित्वों के अनुरूप थी। इसलिए, इन मान्यताओं की अभिव्यक्ति के लिए, सशर्त या बिना शर्त, माफी मांगना निष्ठाहीन होगा। एक माफी केवल मंत्र नहीं हो सकता है और कोई भी माफी, जैसा कि अदालत ने खुद कहा है, ईमानदारी से की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से तब होता है जब मैंने बयानों को प्रामाणिक बनाया है और पूर्ण विवरण के साथ सच्चाई का अनुरोध किया है, जिन पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। अगर मैं इस अदालत के समक्ष एक बयान को वापस लेता हूं जिसे मैं अन्यथा सच मानता हूं या एक निष्ठाहीन माफी की पेशकश करता हूं, तो यह मेरी नजर में मेरी अंतरात्मा और एक संस्था की अवमानना होगी जिसे मैं सर्वोच्च सम्मान देता हूं।

17. दोनों बयानों में उन्होंने दोहराया है कि "मैंने ईमानदारी से बयान दिए हैं और पूरे विवरण के साथ सच्चाई का अनुरोध किया है जो नहीं हैं।

अदालत द्वारा निपटा गया "।

18. सजा सुनाते समय जांचे जाने वाले पहलुओं के दायरे में गए बिना, हम उनके द्वारा लिए गए बचाव पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

अपने उत्तर शपथ पत्र में अवमानकर्ता।

19. अवमानकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुति की सराहना करने के लिए 1971 के संशोधित अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जैसे -

2006 में संशोधित, जो इस प्रकार हैः -

" 13. कुछ मामलों में अवमानना दंडनीय नहीं है।

अभी के लिए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

बलपूर्वक -

(क) कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत अदालत की अवमानना के लिए कोई सजा नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अवमानना ऐसी प्रकृति की है कि यह काफी हद तक हस्तक्षेप करती है, या काफी हद तक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है।

न्याय के उचित पाठ्यक्रम के साथ;

(ख) न्यायालय, न्यायालय की अवमानना के लिए किसी भी कार्यवाही में, एक वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट है कि वह

लोक हित और उक्त बचाव का आह्वान करने का अनुरोध प्रामाणिक है।

20. उपरोक्त प्रावधान से पता चलेगा कि सत्य को वैध बचाव के रूप में मानने के लिए एक दोहरी आवश्यकता है। कि इस तरह का बचाव जनहित में है और उक्त बचाव का आह्वान करने का अनुरोध प्रामाणिक है।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

21. न्यायालय में सत्य को एक वैध बचाव के रूप में मानने के लिए अनिवार्य शर्त का समाधान किया जाना चाहिए कि बचाव सार्वजनिक हित में है, वह उक्त बचाव का आह्वान करने का अनुरोध करता है। वैसा ही रहे।

चूंकि अवमानकर्ता इस बात पर जोर दे रहा है कि इस स्तर पर भी न्यायालय सत्य को एक बचाव के रूप में ध्यान में रखने के लिए लाल है, इसलिए हम उस पर विचार करने के लिए लाल होंगे, ऐसा न हो कि अवमानकर्ता को लगे कि हमने उसके विचार का नेतृत्व किया है।22. अप्रत्यक्ष कर व्यवसायी संघ v. आर. के. जैन, डी) 8 एस. सी. सी. 281, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः -

हमारी मूल्य प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक की मान्यता अर्थात सच। संशोधित धारा न्यायालय को किसी भी अवमानना कार्यवाही में एक वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि यह संतुष्ट है कि ऐसा बचाव सार्वजनिक हित में है और इसके लिए अनुरोध किया गया है -

बचाव का आह्वान करना प्रामाणिक है। हमारे विचार में, यदि किसी भाषण या लेख, संपादकीय, आदि में कुछ ऐसा है जो अवमाननापूर्ण प्रतीत होता है और इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा जाता है, तो सच्चाई को आमतौर पर बचाव के रूप में तब तक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि न्यायालय को यह न लगे कि यह जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण तरीके से लोगों को बदनाम करने के प्रयास के परिणामों से बचने के लिए केवल एक छल है। न्यायालय या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है। तब से,

याचिकाकर्ता ने यह भी सुझाव नहीं दिया है कि क्या किया गया है

सम्पादकीय में उल्लिखित गलत है या कि प्रतिवादी ने तथ्यों का विकृत संस्करण प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी के इस दावे को खारिज करने के लिए कोई वारंट नहीं है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह सही तथ्यों पर आधारित है और संपादकीय लिखने का एकमात्र उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना था।

उपाय।

42. हमारे विचार में, प्रतिवादी जैसे व्यक्ति को उचित रूप से उस प्रणाली के लिए एक व्हिसलब्लोअर के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसने राज्य के राजस्व से जुड़े मामलों से निपटने के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थान की खराबी को उजागर करने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद लागू करके चुप कराने का कोई कारण नहीं है।

129 या संविधान के 215 या अधिनियम के प्रावधान। "[2020] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. सुब्रमण्यम स्वामी (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने अप्रत्यक्ष कर व्यवसायी संघ बनाम में दिए गए निर्णय को मंजूरी दी। आर के जैन

क) और अवलोकन किया: -

" 13. अवमानना कार्यवाही में बचाव के रूप में सच्चाई के संबंध में कानूनी स्थिति अब 1971 की धारा 13 द्वारा वैधानिक रूप से तय की गई है।

अधिनियम (2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित)। 2006 के अधिनियम 6 द्वारा धारा 13 के संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण

इस प्रकार पढ़िए:

" 1. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के मौजूदा प्रावधानों की विभिन्न न्यायिक निर्णयों में व्याख्या की गई है -

प्रभाव कि सत्य को आरोप के बचाव के रूप में नहीं कहा जा सकता है

अदालत की अवमानना।

2. राष्ट्रीय आयोग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए

संविधान (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की गई कि अवमानना के मामलों में, अदालत के लिए यह खुला रहेगा कि वह सच्चाई से औचित्य के बचाव की अनुमति दे।

प्रावधान प्रक्रिया में निष्पक्षता लाएगा और इसे पूरा करेगा संविधान के अनुच्छेद 21 की आवश्यकताएँ।

4. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 कुछ परिस्थितियों का प्रावधान करती है जिनके तहत अवमानना दंडनीय नहीं है। यह. अतः उक्त धारा को एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

5. न्यायालयों की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2003

लोकसभा में 8-5-2003 पर पेश किया गया और वही था

विभाग-संबंधित संसदीय स्थिति को संदर्भित किया गया जाँच के लिए गृह मामलों की समिति। माननीय

समिति ने 2 से 9 तारीख को हुई अपनी बैठक में उक्त विधेयक पर विचार किया।

2003. हालाँकि, 13 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ, न्यायालयों की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2003 समाप्त हो गया। प्रारूपण प्रकृति के संशोधनों के साथ उक्त विधेयक को फिर से पेश करने का प्रस्ताव

है। 15. आर. के. जैन [(2010) 8 एस. सी. सी. 281] मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को 1971 के अधिनियम की धारा 13 पर विचार करने का अवसर मिला, जिसे 2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पैरा 39 में न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 311)

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

" 39. ..... प्रतिस्थापित धारा 13 हमारी मूल्य प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक यानी सत्य की एक महत्वपूर्ण विधायी मान्यता का प्रतिनिधित्व करती है। संशोधित धारा न्यायालय को सक्षम बनाती है कि -

किसी भी अवमानना कार्यवाही में एक वैध बचाव के रूप में सच्चाई से औचित्य की अनुमति दें यदि यह संतुष्ट है कि ऐसा बचाव सार्वजनिक हित में है और बचाव का आह्वान करने का अनुरोध प्रामाणिक है। हमारे विचार में, यदि किसी भाषण या लेख, संपादकीय आदि में कुछ ऐसा है जो अवमाननापूर्ण प्रतीत होता है और इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा जाता है, तो सच्चाई को आमतौर पर बचाव के रूप में तब तक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि न्यायालय को यह न लगे कि यह अदालत को बदनाम करने के जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण प्रयास के परिणामों से बचने के लिए केवल एक छल है या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है। चूंकि, याचिकाकर्ता ने यह सुझाव भी नहीं दिया है कि संपादकीय में क्या उल्लेख किया गया है यह गलत है या कि प्रत्यर्थी ने तथ्यों का विकृत संस्करण प्रस्तुत किया है, प्रत्यर्थी के इस दावे को खारिज करने के लिए कोई वारंट नहीं है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह सही तथ्यों पर आधारित है और संपादकीय लिखने का एकमात्र उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना था।

उपाय "।

इस प्रकार, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि संशोधित

धारा न्यायालय को किसी भी अवमानना कार्यवाही में एक वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि यह संतुष्ट है कि ऐसा बचाव सार्वजनिक हित में है और बचाव का आह्वान करने का अनुरोध प्रामाणिक है। हम आर. के. जैन [(2010) 8 एस. सी. सी. 281] में दोनों न्यायाधीशों की पीठ के विचार को स्वीकार करते हैं। दूसरे प्रश्न के संबंध में आगे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अवमानना कानून में संशोधन ने इस प्रश्न को प्रभावी रूप से निरर्थक बना दिया है।

24. वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने कहा कि दूसरा ट्वीट श्री प्रशांत भूषण की राय की अभिव्यक्ति थी।

कि पिछले छह वर्षों में देश में लोकतंत्र को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है और न्यायालय ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। हालाँकि, न्यायालय उक्त बचाव में नहीं गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त राय उस सामग्री के आधार पर बनाई गई थी जिसे जवाब में हलफनामे के साथ रिकॉर्ड में रखा गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि

इस न्यायालय द्वारा सामग्री पर भी विचार नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. विद्वान महान्यायवादी ने अवमानकर्ता द्वारा जवाब में लिए गए बचाव के माध्यम से लिए जाने के बाद, निष्पक्ष रूप से कहा कि अवमानकर्ता को इस तरह के बचाव को वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए और इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए।

26. श्री प्रशांत भूषण के जवाब में हलफनामे में किए गए कथनों के संबंध में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि

हलफनामे में कई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ इस न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ विभिन्न आरोप हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के बचाव की जांच उन न्यायाधीशों को सुने बिना नहीं की जा सकती है जिनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए हैं और इसलिए इस तरह के बचाव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उन व्यक्तियों को नहीं सुना जाता जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अवमानकर्ता को इस तरह का बचाव करने के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। अवमानकर्ता के बचाव की जांच पर, हम विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई इस दलील से सहमत हैं कि बचाव को या तो जनहित में या प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि जब श्री डेव, विद्वान वरिष्ठ वकील, को अवमानकर्ता की उपस्थिति में, 05.08.2020 पर सुना गया, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि वह अवमानकर्ता के जवाब में हलफनामे में आगे के कथनों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को और खराब करेगा। इस प्रकार, हम विद्वान महान्यायवादी के इस विचार का समर्थन करते हैं कि बचाव पक्ष को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए और हमारी राय में, यह न तो प्रामाणिक है और न ही जनहित में है और इस तरह यह दोहरे परीक्षण को पास करने में विफल रहता है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं।

27. हम ऐसा मानने का एक कारण यह है कि हालांकि ट्वीट दो पंक्तियों का है, जवाब में हलफनामा उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की श्रृंखला को संदर्भित करता है।

मुख्य न्यायाधीशों सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त और वर्तमान न्यायाधीशों के कार्यकरण के संबंध में न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में उनकी भूमिका के संबंध में अवमानक। यदि सत्य को बचाव के रूप में लेने के लिए कथनों पर विचार किया जाता है, तो यह अवमानना को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

28. हमारा विचार है कि परिस्थितियों में, लिए गए बचाव को या तो जनहित में या प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत, यह इस न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए अधिक अपमानजनक है और यह न्याय प्रशासन को और बदनाम करने और बदनाम करने के बराबर होगा, जिसमें इस देश के आम नागरिक को विश्वास है और न्याय प्राप्त करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

29. उन्होंने कहा कि इस न्यायालय ने बहुसंख्यकवादी कार्यपालिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और जब बहुसंख्यकवादी कार्यपालिका अत्याचार में काम कर रही थी,

सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को सही करने में सक्षम नहीं रहा है।

30. हलफनामे में मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीठों के गठन का भी उल्लेख किया गया है। निपटाए गए विभिन्न मामलों का संदर्भ है इस न्यायालय के 9-न्यायाधीशों और 5-न्यायाधीशों द्वारा और संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली और बड़ी संख्या में न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाए गए हैं।

31. उन्होंने उस मामले को वापस लेने के संबंध में आगे कहा है जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की अस्वीकृति के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया था। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों का भी उल्लेख किया है और इस न्यायालय के कामकाज पर प्रतिकूल टिप्पणी भी की है। उन्होंने अयोध्या के फैसले पर भौंहें उठाई हैं और इस अदालत को दोषी ठहराया है।

32. बचाव के रूप में सत्य का समर्थन करने के लिए जवाब में हलफनामे में किए गए विभिन्न कथनों को देखने के बाद, हमारा विचार है

न्याय के प्रशासन में आम आदमी का। 34. हालाँकि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं होती है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। विशेष रूप से जब इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है और इसका प्रभाव समग्र रूप से संस्थान और उन व्यक्तियों को बदनाम करने का होता है जो उक्त संस्थान का हिस्सा हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, तो कानून में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि फैसले की निष्पक्ष आलोचना कानून में स्वीकार्य है, लेकिन कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संस्था को बदनाम करने के अधिकार से अधिक नहीं हो सकता है।

35. यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ता बनाने में शामिल है

सेवानिवृत्त और वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप। एक ओर हमारा ध्यान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने न्यायिक आचरण के मानदंडों की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह भी प्रावधान है कि न्यायाधीश [2020] 8 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।

जनता में अपनी राय व्यक्त करें। न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करनी होती है और वे सार्वजनिक बहस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या प्रेस में नहीं जा सकते हैं। समाचार पत्र और मीडिया में न्यायाधीशों के खिलाफ कोई भी आरोप लगाना बहुत आसान है। न्यायाधीशों को ऐसे मामलों का मूक पीड़ित होना पड़ता है आरोप, और वे सार्वजनिक मंचों, समाचार पत्रों या मीडिया पर जाकर सार्वजनिक रूप से इस तरह के आरोपों का मुकाबला नहीं कर सकते। न ही वे विभिन्न बेबुनियाद आरोपों की शुद्धता के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, सिवाय इसके कि जब वे मामले से निपट रहे हों। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास वह प्रतिष्ठा है जो उन्होंने इस संस्थान के प्रति कड़ी मेहनत और समर्पण से अर्जित की है। उन्हें हर आरोप का जवाब देने और सार्वजनिक बहस में शामिल होने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि जब वे बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की हानि का सामना नहीं करना पड़े, जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। न्यायपालिका को न्यायिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रवक्ता माना जाता है। वे व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। बार और बेंच एक ही प्रणाली यानी न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं, और समान प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। यदि न्यायाधीशों पर तीखा हमला किया जाता है, तो उनके लिए निडर होकर और मुद्दों पर निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। फैसले की आलोचना की जा सकती है। हालाँकि, न्यायाधीशों के उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह न्याय के प्रशासन को बदनाम करता है। हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में, चौथा

संस्करण, खंड 9, पैरा 27 में यह देखा गया है कि दंड समग्र रूप से न्यायालय या न्यायालय के व्यक्तिगत न्यायाधीशों को हमले की पुनरावृत्ति से बचाने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता है, बल्कि जनता और विशेष रूप से उन लोगों की रक्षा के लिए दिया जाता है जो स्वेच्छा से या मजबूरी से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। यदि न्यायाधिकरण के अधिकार को कम किया जाता है या बाधित किया जाता है तो वे खर्च उठाएंगे। न्यायाधीशों या न्यायपालिका की शत्रुतापूर्ण आलोचना निश्चित रूप से एक कार्य है

न्यायालय को बदनाम करना। न्यायाधीश या संस्था से संबंधित मानहानिकारक प्रकाशन न्याय में बाधा लाता है।

36. सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम। न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य, (1995) 5 एस. सी. सी. 457, इस न्यायालय ने एक न्यायाधीश के आचरण के खिलाफ आरोप के संबंध में एक मामले पर विचार किया। एक संकल्प था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए बार काउंसिल द्वारा पारित किया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बार काउंसिल ऐसा नहीं कर सकती

न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के आचरण की कठोर आलोचना और उस पर पद छोड़ने के लिए दबाव डालना या मजबूर करना। इस तरह की कार्रवाई अदालत की अवमानना होगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी जो आवश्यक है।

कानून के शासन की विशेषता और न्यायिक व्यक्तिवाद को भी प्रभावित करती है। आरई में यह न्यायालयः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

आगे कहा कि, हालांकि, जहां बार ईमानदारी से संदेह करता है

न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश का आचरण और ऐसा संदेह प्रामाणिक और स्वीकार्य सामग्री पर आधारित है, बार एसोसिएशन के अधिकारियों के लिए उचित तरीका होगा कि वे न्यायाधीश से कैमरे में मिलें और उन्हें अवगत कराएं या मामले से उचित तरीके से निपटने के लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करें। जब आरोप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ है, तो बार एसोसिएशन को सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश को निर्णय लेना होता है। जब तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक बार को आगे की सभी कार्रवाई को निलंबित कर देना चाहिए और उचित अवधि के लिए प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है, जो संविधान की मूल विशेषता है और न्यायपालिका को न केवल कार्यकारी दबाव से बल्कि अन्य दबावों से भी मुक्त होना चाहिए। व्यक्तिगत न्यायाधीश को सक्रिय न्यायिक भूमिका के लिए सामाजिक मांग को देखते हुए सुरक्षित महसूस करना पड़ता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है

अनुमति है लेकिन जब आलोचना न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा, क्षमता और निष्पक्षता के बारे में लोगों के मन में आशंका पैदा करती है, तो यह अवमानना के बराबर है। इस तरह की आलोचना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित नहीं है। यह भी कहा गया कि न्यायाधीश को उच्च परंपरा पर आधारित आचरण के उच्च मानक को बनाए रखना चाहिए। यह आयोजित किया गया था इस प्रकारः

" 10. विभिन्न विवाद इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या किसी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को दुर्व्यवहार करने वाले न्यायाधीश के आचरण के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है और यदि ऐसा है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। विवादों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, हमारे दिमाग के पीछे होना आवश्यक है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व। लिखित संविधान के तहत कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और नागरिकों और राज्य या राज्यों के बीच न्याय के स्तर को भी संतुलित करने के लिए संवेदनशील होती है। कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं। इसकी अभिन्न संवैधानिक संरचना के रूप में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ [1981 सप एस. सी. सी. 87] (एस. सी. सी. पी. 221, पैरा 27) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई एक सिद्धांत है जो संविधान के पूरे ताने-बाने से चलता है तो वह सिद्धांत [2020] 8 एस. सी. आर. है।

कानून के शासन का, और संविधान के तहत यह न्यायपालिका है जिसे प्रत्येक अंग को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है

कानून की सीमाओं के भीतर राज्य करें और इस तरह कानून के शासन को सार्थक और प्रभावी बनाएं। न्यायिक समीक्षा कानून के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। न्यायपालिका चाहती है कि राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा अपने संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन या दुरुपयोग या शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिक की रक्षा करना। न्यायपालिका नागरिक और राज्य के बीच कार्यकारी ज्यादतियों और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी होती है। इसलिए, यह बिल्कुल आवश्यक है कि न्यायपालिका को कार्यकारी दबाव या प्रभाव से मुक्त होना चाहिए जो संविधान में विवरण के साथ विस्तृत प्रावधान करके सुरक्षित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल कार्यकारी दबाव या प्रभाव से स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है; यह एक व्यापक अवधारणा है जो किसी भी अन्य दबाव और पूर्वाग्रहों से अपनी व्यापक स्वतंत्रता लेती है। इसके कई आयाम हैं। , अन्य शक्ति केंद्रों की निर्भीकता, आर्थिक या राजनीतिक, और उस वर्ग द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता जिससे न्यायाधीश संबंधित हैं।

न्यायिक व्यक्तिवाद-क्या सुरक्षा की आवश्यकता है? 11. इसलिए, स्वतंत्र न्यायपालिका तब सबसे अधिक आवश्यक होती है जब नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में होती है। इसके बाद न्यायपालिका का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जनता के शोरगुल से विचलित हुए बिना (वास्तविक या कथित) शक्तियों द्वारा न्याय के तराजू को संतुलित करे। न्यायिक स्वतंत्रता का केंद्र न्यायिक व्यक्तिवाद है। न्यायपालिका एक असंबद्ध अमूर्तता नहीं है। यह अलग-अलग पुरुषों और महिलाओं से बना है जो मुख्य रूप से अपने दम पर काम करते हैं। न्यायिक व्यक्तिवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पॉवेल की भाषा में अमेरिकन बार एसोसिएशन को अपने संबोधन में, 11-8-1976 पर श्रम कानून अनुभाग, "शायद ईर्ष्या से संरक्षित व्यक्तिवाद के अंतिम गढ़ों में से एक है।" न्यायमूर्ति डगलस ने अपने

स्टीफन एस. चांडलर बनाम में असहमतिपूर्ण राय। न्यायिक परिषद

संयुक्त राज्य अमेरिका के दसवें सर्किट के [398 यू. एस. 74] ने कहाः

" कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की रीढ़ कितनी मजबूत है,

सजा की धमकी न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्वतंत्रता-चाहे वह राजनीतिक अजनबियों द्वारा या न्यायिक सहयोगियों द्वारा डाली गई हो, एक काली छाया के रूप में पेश की जाएगी। एक संघीय न्यायाधीश को प्रत्येक अन्य न्यायाधीश से स्वतंत्र होना चाहिए। आरई में कोई भी अकेला नहीं हैः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

न ही एक साथ बंधी हुई कोई संख्या सेंसर के रूप में कार्य कर सकती है और उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अवसरों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है

न्यायिक व्यक्तिवाद "।

27. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 ने किसी राज्य की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्वायत्तता दी और धारा 6 (1) उन्हें सशक्त बनाती है। उनके घर को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी कार्रवाई करना, पेशेवर आचरण में गिरावट को रोकने के लिए और अधिवक्ताओं के प्रवेश के अलावा कुलीन पेशे के लिए उपयुक्त नहीं होने के रूप में अक्षम व्यक्ति को दंडित करना। धारा 6 (1) (सी) और उस ओर से बनाए गए नियम, धारा 9,35,36,36-बी और 37 इसे अपने रोल पर अधिवक्ताओं के खिलाफ कदाचार के मामलों को दर्ज करने और निर्धारित करने का आदेश देते हैं। सदस्यों ने

न्यायपालिका मुख्य रूप से और निश्चित रूप से विभिन्न स्तरों पर बार से तैयार की जाती है। बार के सदस्यों के बीच उच्च नैतिक, नैतिक और व्यावसायिक मानक पीठ के उच्च नैतिक मानकों के लिए भी पूर्व शर्तें हैं। इसके अपघटन में अनिवार्य रूप से इसका विस्फोट होता है और यह इसके दूसरे पक्ष को प्रतिबिंबित करता है

यह वहाँ समाप्त होता है और आगे नहीं बढ़ता है। संविधान का अनुच्छेद 121 संसद के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से मना करता है, सिवाय राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करता है जैसा कि अनुच्छेद 124 (4) और (5) के तहत प्रदान किया गया है और अधिनियम, नियमों और संसद के कार्य नियमों के तहत निर्धारित तरीके से। इसके साथ सुसंगत। आवश्यक निहितार्थ से, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा के लिए कोई अन्य मंच या मंच या मंच उपलब्ध नहीं है, बहुत कम बार काउंसिल या वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के समूह के लिए। उन्हें आचरण पर चर्चा करने से मना किया गया है।

न्यायाधीश का अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उस संबंध में कोई संकल्प पारित करना।

29. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (चौथा संस्करण) खण्ड. 9 , पैरा 27, पृ. 21 , यह कहा गया है कि अदालत को बदनाम करने का अर्थ होगा कोई भी ऐसा कार्य जो किया गया हो या प्रकाशित किया गया हो, जिसकी गणना किसी अदालत या न्यायाधीश को अवमानना में लाने, या उसके अधिकार को कम करने, या न्याय के उचित पाठ्यक्रम या अदालत की वैध प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए की गई है।

हालाँकि, अवमानना नहीं, बशर्ते कि आलोचना निष्पक्ष, समशीतोष्ण और सद्भावना से की गई हो और किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत चरित्र या किसी न्यायाधीश या अदालत की निष्पक्षता के लिए निर्देशित न हो। 30. ओस्वाल्ड की अदालत की अवमानना (तीसरा संस्करण), 1993 में, पी। 50 यह कहा गया है कि अदालतों पर मानहानि को अवमानना बनाया जाता है

" अपने चारों ओर महिमा की आग को बनाए रखने के लिए, और लोगों को जनता की नज़रों में उन्हें घृणित बनाने की कोशिश करने से रोकने के लिए। एक अदालत पर मानहानि राजा पर एक प्रतिबिंब है, और लोगों को यह बताना कि न्याय का प्रशासन कमजोर या भ्रष्ट हाथों में है, कि न्याय का फव्वारा ही दूषित है, और इसके परिणामस्वरूप वे निर्णय जो उस फव्वारे से निकलते हैं।

अशुद्ध और दूषित होना चाहिए। "

न्यायिक क्षमता में एक न्यायाधीश पर मानहानि एक अवमानना है, चाहे वह इस बात से संबंधित हो कि उसने अदालत में क्या किया, या उसने न्यायिक रूप से क्या किया। पी. 91 , यह कहा गया है कि ऐसे सभी प्रकाशन जो न्यायालय की गरिमा को आहत करते हैं, या जिनकी गणना न्याय के मार्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए की जाती है, अवमानना का गठन करेंगे। अपराधों की प्रकृति में से एक अदालतों को बदनाम करना है। सी. जे. मिलर द्वारा न्यायालय की अवमानना में (दूसरा संस्करण) पी. 366 , लॉर्ड डिप्लॉक को चोकोलिंगो बनाम से उद्धृत किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के महान्यायवादी [(1981) 1 सभी ई. आर. 244,248] जिन्होंने न्यायिक समिति की ओर से स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः

' 'न्यायालय को बदनाम करना' एक प्रकाशन का वर्णन करने का एक सुविधाजनक तरीका है, जो हालांकि किसी पूर्व या लंबित या किसी विशिष्ट न्यायाधीश से संबंधित नहीं है, लेकिन समग्र रूप से न्यायपालिका पर एक अपमानजनक हमला है, जो आई. एन. आर. ई. हैः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

अदालतों के अधिकार और न्याय के प्रशासन में जनता के विश्वास को कम करने के लिए गणना की गई।

बोर्री और लोव के अवमानना के कानून (दूसरा संस्करण) में पी। 226 यह कहा गया है कि अवमानना की इस शाखा की आवश्यकता इस विचार में निहित है कि सुव्यवस्थित कानूनों के बिना एक सभ्य समुदाय जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए न्यायालय और उसके अधिकारियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनका कार्य कानून को बनाए रखना और लागू करना है, क्योंकि इस तरह के सम्मान के बिना, कानून में जनता का विश्वास है। न्याय के प्रशासन को कमजोर किया जाएगा और कानून खुद ही बदनाम हो जाएगा। यहां तक कि अवमानना के दंडात्मक प्रवर्तन को संशोधित करने के लिए फिलिमोर समिति द्वारा अदालत की अवमानना पर नवीनतम रिपोर्ट में, लॉर्ड एटकिन के इस कथन को दोहराते हुए कि अदालतें जनमत हमलों या अपमानजनक या निंदनीय टिप्पणियों पर छोड़ने के लिए संतुष्ट हैं, पैराग्राफ 162 में, समिति ने कहा था कि एक स्तर पर

" हमने विचार किया कि क्या इस तरह का आचरण दंडात्मक प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि जिस किसी भी न्यायाधीश पर हमला किया गया था, उसे मानहानि के कानून का संरक्षण प्राप्त होगा और आगे किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दो कारणों से अभी भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता है। पहला, अवमानना कानून की यह शाखा न्याय प्रशासन के संरक्षण से संबंधित है, और विशेष रूप से इसकी ईमानदारी और निष्पक्षता में जनता के विश्वास के संरक्षण से संबंधित है; यह केवल संयोग से, यदि बिल्कुल भी हो, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसके अलावा, कुछ हानिकारक हमले, उदाहरण के लिए न्यायाधीशों के एक अनिर्दिष्ट समूह पर, मानहानि की कार्यवाही का विषय नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा, न्यायाधीश आमतौर पर आलोचना के जवाब में कार्रवाई नहीं करने के लिए अपनी स्थिति से विवश महसूस करते हैं, और उनके पास ऐसा करने के लिए कोई उचित मंच नहीं है जैसे कि अन्य सार्वजनिक हस्तियों के पास हो सकता है।

ये विचार हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि अनुचित के आरोपों के खिलाफ एक प्रभावी उपचार की आवश्यकता है।

या भ्रष्ट न्यायिक आचरण "।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 ने तदनुसार उपयुक्त संशोधन किए।

31. यह सच है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इसलिए अवमानकर्ता को सजा अदालत को इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि न्यायाधीशों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बल्कि इसलिए कि नागरिकों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष और मजबूत न्यायपालिका।

34. असंतोष के अस्पष्ट आधारों पर कार्रवाई की धमकी एक जाल पैदा करेगी जो अनिवार्य रूप से अपनी पकड़ में आ जाएगी

उदार, असहमत, नवप्रवर्तक, सुधारक-एक शब्द में अलोकप्रिय। कपटी प्रयास हटाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं

असुविधाजनक। इसलिए, संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, उसे विशिष्ट, प्रामाणिक और स्वीकार्य सामग्री एकत्र करनी चाहिए जो यह दर्शाती है या दर्शाती है कि एक न्यायाधीश की ओर से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता या कार्य पर संदेह करने वाले एक उचित व्यक्ति के मन में भावना पैदा करने वाला आचरण जो पद की गरिमा को कम करता है, लेकिन आवश्यक रूप से, महाभियोग योग्य दुर्व्यवहार नहीं है। न्यायाधीश के प्रति पूरी निष्पक्षता के साथ, जिम्मेदार अधिकारियों को साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद कैमरे में उनसे मिलना चाहिए और न्यायाधीश को उनके पास मौजूद जानकारी से अवगत कराना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है, तो इसकी पूरी संभावना है कि न्यायाधीश स्वयं को सुधार लेगा। या न्यायाधीश के लिए शर्मिंदगी से बचने के लिए, पदाधिकारी उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपने पास मौजूद सामग्री के साथ स्थिति से अवगत करा सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश को मामले से उचित तरीके से निपटने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। इन आरईः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

37. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री धवन ने तर्क दिया कि शुद्धिकरण का मामला मुख्य रूप से दीवानी अवमानना में उत्पन्न होता है। इस न्यायालय ने प्रवीण सी. शाह बनाम में खनिज अवमानना को शुद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया था।

मोहम्मद अली और एक अन्य, (2001) 8 एस. सी. सी. 650। बार काउंसिल

यह विचार कि अवमानना का शुद्धिकरण केवल आपराधिक अवमानना के मामले में और नागरिक अवमानना के मामले में पश्चाताप या अपमान करके किया जा सकता है, आदेश या निर्देशों के साथ शांत अनुपालन द्वारा अवमानना हो सकती है

एड। निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुआः

" 23. अब हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होगा-यह कैसे संभव है?

अवमानकर्ता खुद को अवमानना से मुक्त करता है? इसके अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति, अदालत से माफी मांगकर खुद को अवमानना से मुक्त कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उक्त राय निम्नलिखित से देखी जा सकती है -

आक्षेपित आदेश का भागः

" स्वयं को अवमानना से मुक्त करना केवल अपराधी की पूर्ण कार्रवाई के मामले में पश्चाताप या माफी मांगना हो सकता है।

अवमानना। यदि यह दीवानी अवमानना का मामला है, तो आदेशों या निर्देशों के बाद के अनुपालन से अवमानना को दूर किया जा सकता है। एक उपयुक्त अदालत के आदेश द्वारा अवमानना से मुक्त होने के लिए कानून में कोई प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है।

(i) इस न्यायालय द्वारा शुद्धिकरण के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया गया थाः

" 24. शुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अवांछनीय तत्व को या तो स्वयं से या समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। यह एक सफाई प्रक्रिया है। पर्ज एक ऐसा शब्द है जिसे हासिल किया गया है

धर्मशास्त्रीय अर्थों में पहले निहितार्थ। पाप के मामले में, इस तरह के पाप को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्रायश्चित करने के साथ-साथ ईमानदारी से पश्चाताप की अभिव्यक्ति की जाती है। में। अपराध के मामले में, शुद्धिकरण का अर्थ है खुद को अपराध से मुक्त करना। पुर्गाटोरी की अवधारणा "शुद्धिकरण" शब्द से विकसित हुई थी, जो इस जीवन के बाद की पीड़ा की स्थिति है जिसमें वे आत्माएं, जो अपने घातक पापों के साथ इस जीवन को छोड़ देती हैं, उन्हें शुद्ध किया जाता है और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाया जाता है जहां कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है (शब्दों और वाक्यांशों के अनुसार, स्थायी एडन। , खण्ड. 35 - ए, p.307)। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "पर्ज" शब्द का निम्नलिखित अर्थ दिया गया हैः " साफ करना; साफ करना। किसी आरोप या अपराध के आरोप या अवमानना से दोषमुक्त या दोषमुक्त करना। यह सुझाव देना बेतुका है कि यदि दोषी [2020] 8 एस. सी. आर.

व्यक्ति को सजा दी जाती है या यदि वह उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि देता है तो शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा।

((ii) इस न्यायालय ने विचार किया कि शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता हैः

" 25. हमें बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया है कि अवमानना प्रक्रिया तब पूरी होगी जब अवमानना करने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा [मदन गोपाल गुप्ता (डॉ.) बनाम। आगरा विश्वविद्यालय [ए. आई. आर. 1974 ऑल। 39]] . विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसके बारे में यही कहाः (एयर

पी। 43 , पैरा 13)

" मेरी राय में अवमानना में एक पक्ष ने अदालत के आदेशों का पालन करके या अदालत द्वारा लगाए गए दंड से गुजरकर अपनी अवमानना को शुद्ध किया।

26. अदालत के आदेशों का पालन करना एक ऐसा तरीका होगा जिसके द्वारा कोई भी नागरिक अवमानना होने पर पर्याप्त तरीके से शुद्धिकरण प्रक्रिया कर सकता है। इस तरह की नागरिक अवमानना के लिए भी शुद्धिकरण प्रक्रिया को केवल द्वारा पूरा नहीं माना जाएगा

अवमानकर्ता उस पर लगाए गए दंड से गुजर रहा है जब तक कि उसने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है या उसने गलती को पूर्ववत नहीं किया है। यदि नागरिक अवमानना के संबंध में यही स्थिति है तो आपराधिक अवमानना के संबंध में स्थिति मजबूत होनी चाहिए। धारा 2 अदालत की अवमानना अधिनियम अदालत की अवमानना को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहली श्रेणी "दीवानी अवमानना" है जो उल्लंघन सहित अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा है।

न्यायालय को दिए गए वचन का। लेकिन "आपराधिक अवमानना" में कोई भी ऐसा कार्य करना शामिल है, जो किसी भी अदालत के अधिकार को बदनाम या कम करता है, या न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।

38. इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दी कि केवल चल रहा है

अवमानकर्ता पर लगाया गया जुर्माना प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

अवमानना के लिए खुद को शुद्ध करना। जुर्माने की सजा के मामले में,

बार-बार झुकते रहें। आपराधिक प्रलोभन को शुद्ध करने के लिए कुछ और की आवश्यकता है। यहां तक कि माफी का एक बयान भी शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैकोशिश करें। न्यायालय को यह आदेश देने के लिए कि अवमानकर्ता ने स्वयं को पद से मुक्त कर लिया है, शब्दावली की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना होगा।

कोशिश करें। अवमानना को समाप्त करने से पहले, अधिवक्ता आई. एन. आर. ई. का सामना कर सकता हैः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

नियमों के नियम 11 के समतुल्य जो यह अभिनिर्धारित करते हैं कि

केट को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है, किसी भी अदालत में कार्रवाई करने का उनका अधिकार छीन लिया गया है।

39. प्रवीण सी. शाह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 22. हम पहले ही बता चुके हैं कि नियमों का नियम 11 एक स्व-प्रचालन प्रावधान है। जब इसका पहला अभिधारणा पूरा हो जाता है (कि अधिवक्ता को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है) तो उसका

किसी भी अदालत में कार्रवाई करने या वकालत करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, हालांकि शायद कुछ समय के लिए। अगर वह इस तरह के काम बिना करता है

अदालत की अनुमति व्यक्त करें कि वह फिर से दोषी होगा

इस तरह के कार्य के अलावा अदालत की अवमानना अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के दायरे में आने वाला एक कदाचार है। उनके खिलाफ एक वकील के रूप में अदालत में पेश होने का आदेश जारी रहेगा। जब तक वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता।

27. इसलिए हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि केवल अवमानकर्ता पर लगाए गए दंड से गुजरना पर्याप्त है -

अवमानना से खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया को पूरा करें,

विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अवमानकर्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जाता है। उक्त दृष्टिकोण के अनुसार देने में खतरा पूर्वनिर्धारित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश यह है कि यदि अवमानकर्ता को जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो वह तुरंत इसका भुगतान कर सकता है और उसी अदालत में अवमानना करना जारी रख सकता है, और फिर से जुर्माना का भुगतान कर सकता है।

और अपने अपमानजनक आचरण के साथ बने रहते हैं। होना ही चाहिए।

स्वयं को अवमानना से मुक्त करने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए

जब यह आपराधिक अवमानना का मामला हो।

नियम 11 में निहित हस्तक्षेप का पालन नहीं करने के कारण के रूप में किसी भी नियम में अपराधबोध। केवल इसलिए कि नियमों में स्वयं को अपराध से मुक्त करने का तरीका निर्धारित नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध को बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता है। जब कोई अवमाननाकर्ता आपराधिक अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो उस दिशा में सबसे पहले अपने मन में अपने आचरण के बारे में वास्तविक पश्चाताप स्थापित करना या डालना चाहिए, जिसे अदालत ने अवमानना के बराबर पाया। अदालत। अगला कदम संबंधित अदालत से इस आधार पर माफी मांगना है कि उसने वास्तव में और वास्तव में पश्चाताप किया था

और यह कि उसने भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करने का संकल्प लिया है।

एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पर्याप्त नहीं है कि वह माफी मांगे। क्षमा याचना अदालत को वास्तविक और ईमानदार होने के लिए प्रभावित करना चाहिए। यदि अदालत उसकी वास्तविकता से प्रभावित होकर माफी स्वीकार करती है तो यह कहा जा सकता है कि अवमानकर्ता ने खुद को अपराध से मुक्त कर लिया है।

29. इस न्यायालय ने एम. वाई. शरीफ बनाम में निर्णय दिया है। माननीय न्यायाधीशों

नागपुर उच्च न्यायालय [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 19] ने कहा कि

" क्षमा याचना दोषियों को उनके अपराध से शुद्ध करने के लिए बचाव का हथियार नहीं है और न ही इसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करना है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण होना है। (एयर पी। 23, पैरा 10)

एम. बी. सांघी में जे. अहमदी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में), अधिवक्ता बनाम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [(1991) 3 एस. सी. सी. 600] ने अवमानना कार्यवाही में एक अधिवक्ता द्वारा दी गई माफी पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा हैः (एस. सी. सी पी. 603, पैरा 2)

" और यहाँ पेशे का एक सदस्य है जिसने अपने प्रदर्शन को दोहराया है संभवतः क्योंकि उन्हें पहले अवसर पर हल्के में छोड़ दिया गया था। नरम न्याय इसका जवाब नहीं है -

ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय उनके साथ कठोर रहा है

मतलब यह है कि उसे माफी मांगने पर नहीं छोड़ा जा सकता है जो ईमानदारी से परे है। उनकी माफी खोखली थी, कोई पछतावा नहीं था-कोई पछतावा नहीं था-यह केवल कानून की कठोरता से बचने का एक उपकरण था।

उन्होंने अपने हलफनामे में जो कहा वह यह था कि उन्होंने विद्वान न्यायाधीश द्वारा बताए गए शब्दों का उच्चारण नहीं किया था; दूसरे शब्दों में विद्वान न्यायाधीश झूठ बोल रहे थे-चोट का अपमान कर रहे थे- और फिर भी यदि अदालत उसे दोषी पाती है (उसने मामले का पुरजोर विरोध किया) तो उसकी अयोग्य माफी स्वीकार की जा सकती है। यह कोई माफी नहीं है, यह केवल बचने का एक साधन है।

30. मुल्क राज बनाम मामले में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ। पंजाब राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 839] ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जो हमारे सामने इस प्रश्न पर काफी प्रकाश डालेंगीः (एस. सी. सी पी. 840, पैरा 9)

" 9. क्षमा याचना पश्चाताप का कार्य है। जब तक कि जल्द से जल्द माफी की पेशकश नहीं की जाती है और अच्छी कृपा से माफी नहीं मांगी जाती है

पश्चाताप की आहट। यदि माफी ऐसे समय में दी जाती है जब अवमानकर्ता को पता चलता है कि अदालत सजा देने जा रही है तो यह माफी देना बंद कर देता है और यह एक कायरतापूर्ण कायरता का कार्य बन जाता है। उच्च न्यायालय आई. एन. आर. ई. पर कोई ध्यान नहीं देने में सही थाः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

अपीलार्थी की 'बिना किसी और शब्द के' माफी की अभिव्यक्ति। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि मामले में माफी माँगना अपराधी को घोर अवमानना करने के बाद दंड से मुक्त होने की अनुमति देने के बराबर होगा।

40. इस अदालत ने आगे कहा कि जब तक अवमानना को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक अधिवक्ता

नियम 11 के परिणाम भुगतने होंगे। इस न्यायालय ने कहाः -

" 34. प्रत्यर्थी अधिवक्ता किसी भी अदालत द्वारा आपत्ति किए बिना आपराधिक अवमानना के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी उन सभी अदालतों में पेश होता रहा जहां वह पहले पेश हो रहा था। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण है कि अदालत के पीठासीन अधिकारियों को इस बारे में सूचित नहीं किया गया था कि क्या हुआ था। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में जब भी किसी अधिवक्ता को उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उस उच्च न्यायालय का पंजीयक उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को इस तथ्य से अवगत कराएगा ताकि सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह जानकारी मिल सके कि विशेष अधिवक्ता न्यायालय के अधीन है।

जब तक वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक नियमों के नियम 11 में निहित निर्णय की अवधि।

उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय का पंजीयक इस निर्णय के बारे में सभी न्यायालयों को सूचित करेगा। प्रतिवादी अधिवक्ता "।

41. बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। केरल उच्च न्यायालय, (2004) 6,311, प्रवीण सी. शाह (ऊपर) में अनुपात की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई थी। एस ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के पास भारत की स्थापना के अनुच्छेद 129 के तहत दंडित करने की शक्ति है और वह अधिवक्ता को दंडित कर सकता है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। भारत संघ, (1998) सी 409। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 34. हालाँकि पेशेवर कदाचार के मामले में, यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी वकील को दंडित नहीं कर सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत जो तरीके से दर्ज पेशेवर कदाचार के निष्कर्ष पर लगाया जा सकता है

अधिवक्ता अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में देखा गया है।

20] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[(1998) 4 एस. सी. सी. 409] अधिवक्ता का पेशेवर दुराचार

अवमानना के मामले में संबंधित सीधे तौर पर मुद्दा नहीं है।

मामला "।

42. रोशन लाल आहूजा, पुनः: , (1993) सप. 4 एस. सी. सी. 446, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किए गए अभिवचनों का अपमान करने और कम करने पर प्रभाव पड़ा

न्यायिक मामलों के संबंध में न्यायालय का अधिकार लेकिन न्याय के प्रशासन में बाधा डालने में पर्याप्त हस्तक्षेप का प्रभाव भी था। निराधार और अनुचित आक्षेप न्यायालय के अधिकार को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखते थे और जनता के मन में और निडर न्याय प्रदान करने की क्षमता पर अविश्वास पैदा करते थे।

43. यह निम्नलिखित खंडों के संदर्भ में प्रासंगिक होगा

' सितंबर 1992 में नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथनः

" .....(8) न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में भाग नहीं लेगा या राजनीतिक मामलों या लंबित मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा।

या न्यायिक निर्धारण के लिए उत्पन्न होने की संभावना है।

(9) एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने फैसले को बोलने दे

स्वयं। वह मीडिया को साक्षात्कार नहीं देंगे।

44. अवमानकर्ता ने चार वरिष्ठों के दिनांकित 12.01.2018 प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर किए गए बयानों को सही ठहराने की कोशिश की है।

इस न्यायालय के न्यायाधीश। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, जिसकी अनुमति है न कि जिसकी अनुमति नहीं है। यह तय किया गया है कि नकारात्मक समानता का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है। हम आशा करते हैं कि यह पहला और अंतिम अवसर था जब न्यायाधीश प्रेस में गए थे, और

भगवान आंतरिक तंत्र द्वारा इसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, विशेष रूप से, जब लगाए गए आरोप, यदि कोई हों, तो पीड़ित न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह उन्हें अनंत काल तक पीड़ा देगा। सत्य न्यायाधीशों का बचाव भी हो सकता है, लेकिन वे अपने न्यायिक मानदंडों, नैतिकता और आचार संहिता से बंधे होते हैं। इसी तरह, अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते वकीलों पर भी समान रूप से लागू होती है। बार काउंसिल द्वारा बनाए गए व्यावसायिक नैतिकता के नियम, हालांकि वैधानिक शक्ति के तहत बनाए गए हैं, स्वयं पेशे की कुलीनता को पूरी तरह से निर्धारित करने या प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पेशे की कुलीनता

नैतिकता के नियमों को शामिल करती है। वकीलों को, एक वर्ग के रूप में, जनता द्वारा बुद्धिजीवियों के रूप में देखा जाता है, जैसा कि में देखा गया है

आर. मुथुकृष्णन बनाम उच्च न्यायालय के महापंजीयक

मद्रास में न्यायिक विभाग, (2019) 16 एस. सी. सी. 407। निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

" 25. न्याय प्रदान करने की प्रणाली में एक वकील की भूमिका अपरिहार्य है। वह पेशेवर नैतिकता से बंधा होता है और उसे बनाए रखता है। उच्च मानक। उसका कर्तव्य अदालत के प्रति, अपने मुवक्किल के प्रति, विपरीत पक्ष के प्रति और विरोधी पक्ष के वकील का सम्मान बनाए रखना है। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक सम्मानित बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक रखता है और एक महान पेशे का सदस्य है, उससे अपेक्षा अधिक होती है। समाज में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। लोगों को न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली में अपार विश्वास है और उनसे निपटने वाला पहला व्यक्ति एक वकील है। याचिकाकर्ता

एक वकील पर विश्वास रखें और उनके साथ विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करें। वे जहाँ भी किसी वकील द्वारा पूछे जाते हैं, वहाँ अपने हस्ताक्षर करते हैं। एक अधिवक्ता से अपने अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वह बेदाग रहे।

उसके उद्देश्य के लिए न्याय दिया जाता है।

26. नेक पेशे के उच्च मूल्यों की हर कीमत पर सभी संबंधितों द्वारा रक्षा की जानी चाहिए और सभी परिस्थितियों में युवाओं द्वारा भी जीवित रहने की लड़ाई में नहीं भुलाया जा सकता है।

पर्दे के पीछे, जो प्राप्त करने वाले छोर पर है। वास्तव में, हम एक वादी को उसके अधिकारों को मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। एक वादी को एक वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से सलाह दिए जाने का अधिकार है। वकीलों को पैसे की हेराफेरी करने वाले या एम्बुलेंस का पीछा करने वाले नहीं माना जाता है। एक वकील को न्यायाधीश से किसी भी पक्ष की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। तथ्यों और कानून में महारत हासिल करना उसका कर्तव्य है और अदालत में ठीक यही प्रस्तुत करें, उसका कर्तव्य अदालतों का समय बर्बाद करना नहीं है।

72. मोहित चौधरी में निर्णय, इन रे [मोहित चौधरी,

आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में। साथ ही, इस न्यायालय ने कहा है कि एक वकील ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है जिससे न्यायालय की गरिमा को नुकसान पहुंचे। अवमानना का अधिकार क्षेत्र बनाए रखने के उद्देश्य से है न्यायालय का सम्मान या गरिमा, तीखी या अनुचित प्रथाओं से बचने के लिए। एक वकील को [2020] 8 एस. सी. आर. के लिए राहत की अंधी खोज में नहीं डूबा जाना चाहिए।

उनके ग्राहक "। कानून व्यापार नहीं है, कोई माल नहीं है "। उसका कर्तव्य कानूनी रूप से मामले में सहायता करने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करना है न्याय का प्रशासन। न्यायाधीशों का चयन बार से किया जाता है और बेंच की शुद्धता बार की शुद्धता पर निर्भर करती है। अवक्रमित बार के परिणामस्वरूप अवक्रमित बेंच बनती है। न्यायालय ने जुलूस के आचरण और शिष्टाचार के लेखों और मानकों का उल्लेख इस प्रकार किया हैः (एससीसी पीपी। 88-92 , पैरा 20-28,30 और 32)

" 20. वारवेल्स लीगल एथिक्स, 2nd Edn। पी पर। 182 निर्धारित करता है कि

एक वकील का दायित्वः

' एक वकील ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है जो

न्यायालय की गरिमा को कम करता है, जिसमें वह स्वयं एक शपथ लेने वाला अधिकारी और सहायक है। उसे हर समय न्यायाधीश का सम्मान करना चाहिए, और ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

अदालत कक्ष की गरिमा "।

21. अवमानना का अधिकार क्षेत्र केवल संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए नहीं है ताकि वह न्याय कर सके।

निडरता से और निष्पक्षता से, लेकिन "न्यायपालिका के उचित नाम" की रक्षा के लिए भी। बोलने के तरीके से सुरक्षा, विस्तारित होती है

यहाँ तक कि रजिस्ट्री को भी अपने कार्य के निष्पादन में और गलत

और अनुचित आरोप जो रजिस्ट्री के काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार न्याय का प्रशासन, तिरछे तरीके से किया जाता है

इरादे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में

संस्थान के सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए, न्यायालय ने

उन दर्दनाक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिनका हम सामना कर रहे हैं

कार्यवाही प्रस्तुत करना। पी. बी. सावंत के शब्दों में ऐसा नहीं करना,

जे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, [मंत्रालय में]

सूचना और प्रसारण विभाग, पुनः (1995) 3 एस. सी. सी. 619]

होगाः (एस. सी. सी पी. 635, पैरा 20)

‘20 . ..... वर्तमान प्रवृत्ति जब तक नियंत्रित नहीं की जाती है, तब तक एक ऐसे चरण की ओर ले जाने की संभावना है जब प्रणाली नष्ट हो जाएगी।

बाहर से नष्ट होने से पहले भीतर। यह इसके लिए है

पेशे के सदस्यों को आत्मनिरीक्षण और लेने के लिए

समय पर सुधारात्मक कदम और अदालतों को भी छोड़ दें

अप्रिय कर्तव्य। हम और कुछ नहीं कहते। "

22. अब "व्यावसायिक आचरण के मानकों" की ओर रुख करें

और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में निहित शिष्टाचार

अध्याय II, भाग VI की धारा I, आर. ई. में एक अधिवक्ता के कर्तव्यः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

अदालत की ओर निर्दिष्ट किया गया है। हम चौथा निकालते हैं

कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

' 4. एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल को तीखी या अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने या अदालत के संबंध में कुछ भी करने से रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, वकील या पक्षों का विरोध करेगा जो स्वयं अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए। एक अधिवक्ता उस मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर देगा जो इस तरह के अनुचित आचरण में बना रहता है। वह विचार नहीं करेगा। स्वयं केवल मुवक्किल का मुखपत्र है, और इसमें संयमित भाषा के उपयोग में अपने निर्णय का प्रयोग करेगा।

पत्राचार, अभिवचनों में अपमानजनक हमलों से बचना, और अदालत में बहस के दौरान असंयमित भाषा का उपयोग करना।

3. उपरोक्त संदर्भ में उपरोक्त सिद्धांत अलग-अलग है।

आर. वी. में क्रैम्पटन, जे. द्वारा शब्द निर्धारित किए गए थे। ओ 'कोनेल [आर. वी.] ओ 'कोनेल, (1844) 7 आयरिश लॉ रिपोर्ट 313] निम्नानुसार है:

' अधिवक्ता प्रतिनिधि होता है लेकिन प्रतिनिधि नहीं।

वह अपने मुवक्किल को उसकी शिक्षा, उसकी प्रतिभा और उसके निर्णय का लाभ देता है; लेकिन पूरे समय वह कभी नहीं भूलता कि वह अपने और दूसरों के लिए क्या ऋणी है। वह जानबूझकर कानून को गलत नहीं बताएगा, वह जानबूझकर तथ्यों को गलत नहीं बताएगा, हालांकि यह उसके मुवक्किल के लिए मामला हासिल करने के लिए होगा। वह हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा कि यदि वह किसी व्यक्ति का वकील है और मूल्यवान सेवाओं के लिए अक्सर अपर्याप्त रूप से बनाए रखा जाता है और उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, तो भी उसके पास सच्चाई और न्याय की ओर से एक पूर्व और स्थायी अनुचर है और कोई क्राउन या अन्य लाइसेंस नहीं है जो किसी भी मामले में या किसी भी पक्ष या उद्देश्य के लिए उसे उस प्राथमिक और सर्वोपरि अनुचर से मुक्त कर सकता है।

24. इस प्रकार पेशे के मूल सिद्धांतों के लिए एक वकील को अपने मुवक्किल के लिए राहत की अंधी खोज में नहीं डूबा होना चाहिए। इस खोज में संस्था की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है क्योंकि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के अनुसार "कानून व्यापार है, कोई माल नहीं बताता है"। एम. वी. दाभोलकर [बार काउंसिल ऑफ

महाराष्ट्र बनाम. एम. वी. दाभोलकर (1976) 2 एस. सी. सी. 291] (एस. सी. सी. पी.

01 , पैरा 23)।

5. इस बिंदु पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जे. विवियन बोस ने 'जी' में क्या कहा है।न्यायालय, पुनः ['जी' में, सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

, आकाशवाणी 1954 एससी 557: 1954 क्रि एल. जे. 1410], जिन्होंने स्पष्ट कियाः (एयर

558 , पैरा 10)

‘10 . ..... सेना की भाषा का उपयोग करने के लिए, एक वकील

इस न्यायालय से हर समय अपेक्षा की जाती है कि वह एक मामले में अपना पक्ष रखे

एक "अधिकारी और एक सज्जन" के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप। ”

5. 1925 में "द लॉयर" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था।

एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट "[वर्जीनिया लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। 11 , नं. 4

ई. बी. 1925) पीपी। 263-77 .] वर्जीनिया लॉ रिव्यू में प्रकाशित,

वकील से जो उम्मीद की जाती है उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करें जो सबसे अच्छा है।

अपने शब्दों में कहेंः

' अदालत के प्रति वकील के कर्तव्य सीधे सामने आते हैं।

उस संबंध से जिसमें वह एक अधिकारी के रूप में अदालत को बनाए रखता है

न्याय का प्रशासन। कानून केवल निजी नहीं है।

न्यायालय की अखंडता; हर समय न्यायालय के प्रति सम्मान का प्रयोग करना। शब्दों और कार्यों दोनों में अदालत; संबंधित सभी मामलों को प्रस्तुत करने के लिए

अपने मुवक्किल के मामले में खुले तौर पर, किसी भी प्रयास से बचने के लिए सावधान रहना

न्यायाधीश या जूरी में से किसी एक पर निजी प्रभाव डालना;

और अदालत के साथ सभी व्यवहारों में स्पष्ट और स्पष्ट होने के लिए, "

कोई छल, थोपना या चोरी नहीं ", जैसा कि गवाहों को गलत साबित करके किया गया है।

या मिसालों को गलत तरीके से उद्धृत करना "। इसे हमेशा समझना चाहिए।

मिस्टर क्रिश्चियन डोर्फलर, मिल्वौकी के सामने एक संबोधन में

काउंटी बार एसोसिएशन, दिसंबर 1911 में, "कि पेशा

पुरुषों की सहायता के उद्देश्य से पुरुषों के बीच कानून की स्थापना की जाती है

न्याय का प्रशासन। न्याय का एक उचित प्रशासन करता है

इसका मतलब है कि उसे उचित रूप से ध्यान में लाना चाहिए तथ्य और कानून के माध्यम से सब कुछ अदालत जो उपलब्ध है और

अपने मुवक्किल को उचित रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वैध मामला।

जहाँ तक उसके मुवक्किल का संबंध है, उसका कर्तव्य केवल यह है कि

जनता का संबंध है और जहाँ तक वह न्यायालय का अधिकारी है न्याय के प्रशासन में सहायता और सहायता करना है।

999

इस संबंध में श्री वारवेल के सामयिक शब्द

यह भी याद रखें:

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

' लेकिन वकील अकेले एक सज्जन नहीं है; वह न्याय मंत्री है। उनका कार्यालय उच्च नैतिकता लागू करता है

कर्तव्यों और गंभीर जिम्मेदारियों, और वह एक सख्त के लिए आयोजित किया जाता है इन सभी बातों की पूर्ति का अर्थ है। विशाल हितों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है; आत्मविश्वास है

जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति उसकी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसे उन जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए जो वे पैदा करते हैं, और यदि वह अपने विश्वास के साथ विश्वासघात करता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, छल करता है, या बुराई को बढ़ावा देता है, तो सबसे कठोर दंड लगाया जाना चाहिए और उसके नाम पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। रोल '।

कि वकील का अपने पेशे के प्रति उच्च कर्तव्य है और

बार के उनके साथी सदस्य एक स्पष्ट सत्य हैं। उनका पेशा उसका गौरव होना चाहिए, और उसके सम्मान को शुद्ध और बेदाग रखना उसकी मुख्य चिंताओं में से एक होना चाहिए। अधिवक्ता के आकलन में कुछ भी अधिक नहीं होना चाहिए ", श्री अलेक्जेंडर एच ने घोषणा की।

रॉबिन्स, "अपने पेशे की तुलना में घर और देश के उन पवित्र संबंधों के बाद। वह उनके लिए पृथ्वी की संस्थाओं में "दस हजार में सबसे अच्छी" होनी चाहिए। उसे हर जगह उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उसके सम्मान पर किसी भी हमले पर नाराजगी जतानी चाहिए-जैसे कि अगर वही हमला उसके अपने उचित नाम और प्रतिष्ठा के खिलाफ किया जाता। उसे उसे अपने हृदय के पवित्र स्थानों पर सिंहासन पर बिठाना चाहिए, और उसे निरंतर भक्ति का धूप चढ़ाना चाहिए। क्योंकि वह एक ईर्ष्यालु मालकिन है।

पुनः, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायाधीशों का चयन वकीलों के रैंक से किया जाता है। बेंच की शुद्धता इस पर निर्भर करती है -

बार की शुद्धता।

' बहुत तथ्य, तो, कि समन्वय में से एक

सरकार के विभागों का प्रशासन पुरुषों द्वारा किया जाता है।

केवल एक पेशे से चुना गया व्यक्ति उस पेशे को देता है

एक निश्चित श्रेष्ठता जिसके लिए उच्च मानक की आवश्यकता होती है

नैतिकता के साथ-साथ बौद्धिक उपलब्धियाँ। की अखंडता

न्यायपालिका राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन न्यायाधीशों का चरित्र व्यावहारिक रूप से वकीलों का चरित्र है। जैसे जन्म लेता है। एक अवक्रमित बार अनिवार्य रूप से एक का उत्पादन करेगा

अपमानित बेंच, और जैसा कि निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं

न्यायपालिका में उच्चतम उत्कृष्टता प्राप्त करें

एक प्रबुद्ध, विद्वान और नैतिक बार। '[2020] 8 एस. सी. आर.

27. उन्होंने अपने लेख को निम्नलिखित शब्दों में समाप्त कियाः

' कोई भी ग्राहक, निगम या व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, और न ही कोई नागरिक या राजनीतिक कारण, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, इसका हकदार नहीं है।

जिस कानून के मंत्री हम हैं, उसके प्रति बेवफाई से संबंधित कोई सेवा या सलाह प्राप्त करना, और न ही किसी वकील को देना चाहिए, या

न्यायिक पद का अनादर, जिसे हम बनाए रखने के लिए बाध्य हैं, या सार्वजनिक पद या निजी न्यास का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति का भ्रष्टाचार, या जनता के साथ धोखा या विश्वासघात। इस तरह की कोई अनुचित सेवा या सलाह देते समय, वकील कठोर और न्यायसंगत निंदा का आह्वान करता है और उसके योग्य होता है। तदनुसार,

वह अपने पेशे के सम्मान और अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाता है जब वह सेवा प्रदान करता है या मुवक्किल को प्रभावित करने के लिए सलाह देता है और नैतिक कानून के सख्त सिद्धांतों का सटीक पालन करता है। उसे अपने मुवक्किल को क़ानून का पालन करने के लिए भी सलाह देनी चाहिए, हालांकि जब तक किसी क़ानून का अर्थ और व्याख्या सक्षम लोगों द्वारा नहीं की जाती है।

न्यायनिर्णयन में, वह स्वतंत्र है और इसकी वैधता के बारे में और इस बारे में सलाह देने का हकदार है कि वह ईमानदारी से इसका उचित अर्थ और विस्तार क्या मानता है। लेकिन, सबसे बढ़कर, एक वकील को अपना सर्वोच्च सम्मान निजी विश्वास और सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए एक योग्य प्रतिष्ठा में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में और एक देशभक्त और वफादार नागरिक के रूप में मिलेगा।

28. कानूनी सिद्धांतों की जांच करने पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता हैः अवमानकर्ता ने जो शुरू किया था, उसका अंत क्या होना चाहिए, लेकिन अदालत में मौजूद बार के प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल की एक भावपूर्ण याचिका में इसकी परिणति हुई, जो अवमानकर्ता के लिए उनकी उपस्थिति को चिह्नित करती है। हम इस तरह की याचिका पर उचित विचार करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन अवमानकर्ता को बिना किसी परिणाम के मुक्त करने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार हम अवमानना अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं, सिवाय इसके कि अवमानना करने वाले को आगाह किया जाए कि यह इस तरह के दुस्साहस का पहला और अंतिम समय होना चाहिए। लेकिन मामला केवल इतने पर ही सीमित नहीं रह सकता।

***

30. हमारा विचार है कि नियमों के तहत अभिलेख पर अधिवक्ता होने के विशेषाधिकार का स्पष्ट रूप से अवमानकर्ता द्वारा दुरुपयोग किया गया है। यह आचरण सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता से बहुत कम एक अधिवक्ता रिकॉर्ड नहीं बन रहा था।

*** इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

32. उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि चाहे किसी व्यक्ति की शिकायत पर हो या अन्यथा, कदाचार या आचरण के मामले में।

एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के अनुपयुक्त होने के कारण, अदालत स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रजिस्टर से उसका नाम हटाने का आदेश दे सकती है। हम अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के अधिकार और किसी भी राज्य बार काउंसिल की सूची में दर्ज नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जो एक आवश्यक आवश्यकता है, इससे पहले कि कोई व्यक्ति अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड की परीक्षा दे। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा है जहाँ इस न्यायालय की राय है कि

अवमानक का आचरण अभिलेख पर एक अधिवक्ता के लिए अशोभनीय है। परंतुक की पूर्व शर्तों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं पीठ का गठन किए जाने के कारण पूरा किया जाता है, और अवमानकर्ता को इससे कहीं अधिक गंभीर परिणामों के बारे में पता होता है, जो उसके सामने आ सकते थे। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने उसे अदालत की दया पर छोड़ दिया है। हमने अनुरोध को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है लेकिन अवमानकर्ता पर कम परिणाम लगाए गए हैं।

45. न्यायिक प्रणाली पर परीक्षण और निर्णयों को राजनीतिक रंग देने वाले न्यायालय के खाली होने के संबंध में, मुथु में

नान (ऊपर) यह आयोजित किया गया थाः

" 82. समय-समय पर यह देखा गया है कि न्यायिक प्रणाली पर विभिन्न हमले किए गए हैं। बार के सदस्यों के लिए यह बहुत आम बात हो गई है कि वे व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों की आलोचना करने के लिए प्रेस/मीडिया में जाते हैं और निर्णयों को राजनीतिक रंग देकर सरासर अवमानना करते हैं। यह सबसे गंभीर रूप की अवमानना के कार्य से कम नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक मामला न्यायालय में आता है और निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी तरह से, राजनीतिक आक्षेपों को बेईमान व्यक्तियों/अधिवक्ताओं द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस तरह के कार्य कुछ भी नहीं हैं, बल्कि न्यायपालिका को ही बदनाम करने और आम आदमी के उस विश्वास को नष्ट करने का कार्य है जो वह न्यायपालिका में दोहराता है।

प्रणाली। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ वास्तविक शिकायत के मामले में, उचित प्रक्रिया उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराना है।

इस बात से संबंधित है कि कौन स्थिति का ध्यान रख सकता है और राजनीतिक उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराकर व्यवस्था को ही बदनाम करना अस्वीकार्य है और

न्यायिक प्रणाली और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाना कार्यकर्ता। जिन न्यायाधीशों पर हमला किया जाता है, उन्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए

अपने दृष्टिकोण को प्रसारित करने के लिए प्रेस या मीडिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

83. अदालत की अवमानना एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक शक्ति है, उसी के लिए अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को कार्रवाई करने का डर है और

प्रभाव। न्यायालय की विशिष्टता समान और समान रूप से न्याय प्रदान करना और प्रत्येक प्रणाली को यह सुनिश्चित करने का अवसर देना है कि इसमें सुधार हो। दुर्भाग्य से, कुछ अधिवक्ताओं को लगता है कि वे इसके कारण बार काउंसिल से ऊपर हैं

निष्क्रियता और वे कारणों के एकमात्र समर्थक हैं। सस्ते प्रचार की भूख बढ़ रही है जिसकी अनुमति नहीं है

बार के महान दिग्गजों द्वारा पोषित महान आदर्श, उन्होंने अपने आचरण से निर्धारित किया है कि वास्तव में पेशेवर क्या होना चाहिए

शिष्टाचार और नैतिकता जो एक संकीर्ण दिशा-निर्देश में परिभाषित होने में सक्षम नहीं हैं। वैधानिक नियम अधिवक्ताओं को विज्ञापन देने से रोकते हैं और वास्तव में प्रेस/मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अदालती कार्यवाही के विकृत संस्करण सरासर कदाचार और अदालत की अवमानना है जो बहुत आम हो गया है। यह निष्पक्ष, निष्पक्ष और निडर तरीके से न्याय प्रदान करना अधिक कठिन बना रहा है।

यद्यपि स्थिति हतोत्साहित करने वाली है कि बार की छवि को सुधारने के लिए सभी संबंधितों द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक रूप से गंदे लिनन को धोने और आरोप/बहस में प्रवेश करने के लिए खुला नहीं है, जो निर्णयों को प्रभावित करने और यहां तक कि गलत उद्देश्यों के साथ न्याय से इनकार करने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति है। यह बार काउंसिल और बार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए है जो इस अवसर पर आगे बढ़ने की अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूले हैं।

बार की स्वतंत्रता को बनाए रखें जो इतनी सर्वोच्च है और इस देश और जीवंत समाज के कल्याण के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

लोकतंत्र "।

46. तहसीन पूनावाला बनाम। भारत संघ और अन्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 72, सम्मानित भाई डॉ. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने निर्णय दिया, ने जनहित याचिका के दुरुपयोग पर ध्यान दिया और पाया कि यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंता का एक गंभीर मामला था। उन्होंने आगे पाया कि न्यायालय कथित रूप से जनहित में दायर गलत याचिकाओं से भरा हुआ है, जो उचित जांच पर, एक व्यक्तिगत, व्यावसायिक या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पाए जाते हैं। यह आगे था

यह देखा गया कि इस तरह की याचिकाएं विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं

न्यायिक प्रक्रिया। यह भी देखा गया कि इसमें अन्य संस्थानों की विश्वसनीयता को खतरे में डालने और लोकतंत्र और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करने की प्रवृत्ति है। न्यायालय ने आगाह किया कि आईएनआरईः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

न्यायालय के सी. आई. का उपयोग अतिरिक्त न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए किया जा रहा है। यह टी इस प्रकार थाः

" 96. जनहित याचिका हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के हितों का समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुई है। वास्तव में,

यही वह आधार था जिस पर बंधुआ मुक्ति जैसी स्थितियों में जनहित क्षेत्राधिकार को न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी

मोर्चा वी. भारत संघ [बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. सी. 161: 1984 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 389]। ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक प्रक्रिया तक पहुँच प्राप्त करने में असमर्थ थे

उनकी गरीबी, अज्ञानता या निरक्षरता को अभाव का सामना करना पड़ता है

मौलिक मानवाधिकार। बंधुआ श्रम और विचाराधीन कैदी

(दूसरों के बीच) उस श्रेणी से संबंधित हैं। जनहित याचिका की विशेषता यह है कि एक नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की शिकायत को उजागर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जो अपने अधिकारों का पीछा करने में असमर्थ हैं। जनहित याचिका पर विचार किया गया है खड़े होने के नियमों में ढील देकर। प्रक्रिया का आवश्यक पहलू यह है कि अदालत में जाने वाले व्यक्ति का कार्यवाही के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

न्यायालय के समक्ष एक नागरिक के रूप में खड़े होना। यह उन लोगों की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है जो अदालत के समक्ष शिकायत का पीछा करते हैं। पर्यावरण न्यायशास्त्र जनहित याचिकाओं के आधार के आसपास विकसित हुआ है। पर्यावरणीय चिंताएँ वर्तमान पीढ़ी और भविष्य को प्रभावित करती हैं। जनहित याचिकाओं के निर्णय के दौरान प्रदूषक भुगतान और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसे सिद्धांत विकसित हुए हैं। समय के साथ, जनहित याचिका एक शक्तिशाली मुद्दा बन गया है।

संरचनाओं के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता शासन। जनहित याचिका इस मायने में संरचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान साधन और क्षेत्राधिकार उपकरण है।

97. फिर भी समय के साथ, यह महसूस किया गया है कि यह अधिकार क्षेत्र होने में सक्षम है और एक के साथ व्यक्तियों द्वारा बेशर्मी से दुरुपयोग किया गया है

व्यक्तिगत कार्यक्रम। उस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर वे मामले हैं जहां जनहित याचिकाएं प्रचार पाने की इच्छा से प्रेरित होती हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ऐसी याचिकाएं हैं जो व्यापार या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के कहने पर एक जनहित याचिका के पीछे के मामलों को निपटाने के लिए स्थापित की गई हैं। अग्रभाग के पीछे वादी का असली चेहरा शायद ही कभी उजागर होता है। ये चिंताएं वास्तव में इस न्यायालय [2020] 8 एस. सी. आर. के फैसले में परिलक्षित होती हैं।

उत्तरांचल राज्य बनाम। बलवंत सिंह चौफाल [उत्तरांचल राज्य बनाम। बलवंत सिंह चौफाल (2010) 3 एस. सी. सी. 402: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 81: (2010) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 807]। इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 453, पैरा 143)

" 143. दुर्भाग्य से, हाल ही में, यह देखा गया है कि अदालतों द्वारा बहुत सावधानी और सावधानी के साथ सावधानीपूर्वक बनाए गए, बनाए गए और पोषित किए गए ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार का अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ कुछ याचिकाएं दायर करके घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। हम समझते हैं कि समय आ गया है जब वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, हमें इसकी रक्षा और संरक्षण करना होगा

इस देश के लोगों के व्यापक हित में अधिकार क्षेत्र, लेकिन हमें मौद्रिक और गैर-मौद्रिक निर्देशों के आधार पर इसके दुरुपयोग को रोकने और ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

अदालतें "।

98. जनहित याचिका का दुरुपयोग न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मुकदमों से भरे हुए हैं और बकाया के बोझ से दबे हुए हैं। तुच्छ या प्रेरित याचिकाएं, जाहिरा तौर पर जनता का आह्वान करते हुए

ब्याज उस समय और ध्यान को कम करता है जो अदालतों को वास्तविक कारणों के लिए समर्पित करना चाहिए। इस न्यायालय के पास लंबित मामलों की एक लंबी सूची है जिसमें नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। वे।

लोक हित में दायर किया जाता है, जो उचित जांच के बाद, एक व्यक्तिगत, व्यावसायिक या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पाया जाता है। इसने मुकदमेबाजी में निहित स्वार्थों के उद्योग को जन्म दिया है। एक गंभीर खतरा है कि यदि इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उन मामलों में अपना समय और संसाधन देने की अदालत की क्षमता को कम करके न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से नकार देगा, जिन पर वैध रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे भी बदतर, ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसमें अन्य संस्थानों की विश्वसनीयता को खतरे में डालने की प्रवृत्ति है और

लोकतंत्र और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करना। यह तब होगा जब अदालत की एजेंसी का उपयोग अतिरिक्त आई. एन. आर. ई. को निपटाने के लिए किया जाएगाः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

न्यायिक अंक। वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का समाधान करना होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है

लोकतंत्र के महान हॉल में हल किया जाना जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को कार्यालय के अंदर और बाहर वोट देते हैं। अदालतें कानूनी अधिकारों और हकदारी के बारे में विवादों को हल करती हैं। अदालतें कानून के शासन की रक्षा करती हैं। एक खतरा है कि न्यायिक प्रक्रिया होगी

कानून के दायरे से परे विवाद होने पर इसे घटाकर एक छलावा कर दिया जाता है।

मानदंड न्यायिक स्थान पर कब्जा करते हैं। "

47. पीठ के गठन पर और हमला किया गया और कुछ न्यायाधीशों से अलग होने की मांग की गई जो पीठ का हिस्सा थे।

क्योंकि वे मूल रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय से थे। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता का आचरण न्यायालय की प्रक्रिया को बदनाम कर रहा है और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करेगा।

हालाँकि, मामले के निष्पक्ष दृष्टिकोण पर, न्यायालय ने आपराधिक अवमानना के माध्यम से कार्यवाही शुरू नहीं की क्योंकि यह असमान लड़ाई के बराबर होगी। श्री प्रशांत भूषण द्वारा न्यायिक अधिकारियों से अलग होने और उन पर आक्षेप लगाने की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करते हुए, यह इस प्रकार देखा गयाः

" 101. ..... यदि यह परीक्षण होना था, तो यह विडंबना है कि याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी, जिसके प्रत्येक न्यायाधीश से ऐसी ही स्थिति का सामना करने की उम्मीद की जाती थी। हमने श्री भूषण को सूचित किया कि किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायाधीश के लिए विवेक का विषय है। इससे अलग होने का कोई आधार या आधार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने सहयोगियों के आदेशों के खिलाफ अंतर-न्यायालय अपीलों की सुनवाई करते हैं। जब विचारों में अंतर होता है तो बड़ी पीठों का उल्लेख किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को सुनते हैं जिनमें उन्होंने न्यायाधीशों के रूप में या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों पर कार्य किया था। न्यायाधीशों के बीच या उनके प्रति संस्थागत सभ्यताओं को बनाए रखना न्यायनिर्णायक के रूप में न्यायाधीश की अत्यधिक स्वतंत्र भूमिका से अलग है। हम दृढ़ता से स्पष्ट करते हैं कि अच्छी तरह से तय किए गए मानदंडों पर, वर्तमान पीठ के किसी भी सदस्य के लिए सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं है। हालांकि इस तरह के बेतुके हमलों का सामना करने वाले न्यायाधीश के लिए किसी मामले से पीछे हटना आसान है, लेकिन ऐसा करना कर्तव्य का त्याग करने के बराबर होगा। उच्च मूल्य हैं जो हमारे आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि श्री भूषण ने अंततः यह स्पष्ट कर दिया कि वह [2020] 8 एस. सी. आर. दाखिल नहीं कर रहे हैं।

अलग होने के लिए आवेदन और कोई भी दायर नहीं किया गया है

हमा

रे पास है।

जिस तरह से ये कार्यवाही की गई है, उस पर हमारी पीड़ा व्यक्त करने के लिए क्या हुआ, यह दर्ज किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की विश्वसनीयता पर गंभीर हमले किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों का आचरण अदालत की प्रक्रिया को बदनाम करता है और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करता है। हालाँकि, मामले के निष्पक्ष दृष्टिकोण पर, हमने कार्यवाही शुरू नहीं करने का फैसला किया है।

आपराधिक अवमानना यदि केवल यह धारणा देने के लिए नहीं कि वादियों और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों को कानून के अधिकार के साथ एक असमान लड़ाई के अधीन किया गया है। हम इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि राष्ट्र का बार इस तरह के प्रयासों का सामना करने के लिए लचीला है

अवमानना '। 48. कामिनी जयस्वाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2018) 1 एस. सी. सी. 156, पीठों के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। पुनः, उत्तर में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीठों के गठन के संबंध में कथन किए गए हैं।

इस सवाल का जवाब कामिनी जैसवाल (ऊपर) में दिया गया था, जिसमें श्री प्रशांत भूषण स्वयं उपस्थित हुए थे। रिलायंस को रखा गया था

डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश, (1996) 5 एस. सी. सी. 216, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया थाः

" 81. यह किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह उन्हें नियुक्त करें।

अपने भाई न्यायाधीशों के लिए न्यायिक कार्य। इसलिए, यह प्रत्यर्थी का कर्तव्य था कि वह दूसरी रिट याचिका को सुनवाई के लिए पीठ को सौंपे। ऐसा करके, जैसा कि आरोप लगाया जाता है, वह अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बने। यह इंगित करना अवमानना है, जैसा कि कथित अवमानकर्ता करता है, कि प्रतिवादी इसे एक ऐसी पीठ को सौंपेगा जो ऐसा नहीं करेगी।

उसके खिलाफ एक आदेश पारित करें। यह कहना भी अवमानना है कि न्यायाधीश इतने सहज होंगे। यह दलील देना कि दूसरी रिट याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ इसकी सुनवाई नहीं कर सकती थी और इसलिए इसे खारिज नहीं किया जा सकता था और यह कि यह अभी भी लंबित माना जाता है, अवमानना को जोड़ना है। इन आरोपों का उद्देश्य न्याय प्रशासन को बदनाम करना भी है। इन आरईः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

49. यह कामिनी जैसवाल (ऊपर) में भी इस प्रकार देखा गया थाः

" 30. हालांकि यह सच है कि हम में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

उच्च स्तर कानून से ऊपर है, लेकिन साथ ही, यह बार और बेंच दोनों का कर्तव्य है कि वे पूरी न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा करें। हम पाते हैं कि इस तरह की याचिकाओं को दायर करने और जिस उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाया जाता है, उसने पिछले कुछ दिनों में पूरी व्यवस्था को अशांति में ला दिया है। इस न्यायालय में उथल-पुथल पैदा करने का प्रयास किया गया; याचिका दायर करने के माध्यम से बिना किसी उचित कारण के संदेह की गंभीर और अवांछित छाया पैदा की गई है जो पूरी तरह से निंदनीय थी और इस तरह से और तरीके से दायर नहीं की जानी चाहिए थी। यह कानून के तय किए गए प्रस्ताव के खिलाफ है। अंततः विस्तार से बहस करने के बाद, अंत में, याचिकाकर्ता और उसके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वे किसी भी व्यक्ति को लक्षित नहीं कर रहे थे। यदि ऐसा नहीं था, तो व्यवस्था के खिलाफ और वह भी इस देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ निराधार आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए थे। हमारे न्यायपालिका की महानता के मामले में

प्रणाली को जीवित रहना है, इस तरह की याचिकाओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए थी, वह भी डी. सी. सक्सेना [डी. सी. सक्सेना बनाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश, (1996) 5 एस. सी. सी. 216] और के. वीरास्वामी [के. वीरास्वामी बनाम। भारत संघ, (1991) 3

एससीसी 655: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 734] ”

50. जैसा कि ऊपर बताया गया है, तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि हलफनामे में बचाव पक्ष को लिया गया है।

इसे प्रामाणिक या जनहित में नहीं कहा जा सकता है। जवाब के हलफनामे में कथनों के साथ दोनों ट्वीट समग्र रूप से संस्थान में जनता के विश्वास को हिलाने में सक्षम हैं। दूसरा ट्वीट यह धारणा बनाने में सक्षम है कि पिछले छह वर्षों में पूरे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

51. जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, उपस्थित परिस्थितियों में से एक जिसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक है वह व्यक्ति है जो बयान देता है। न्याय प्रशासन प्रणाली का हिस्सा और उक्त प्रणाली के प्रति कर्तव्य रखने वाले व्यक्ति से ऐसे ट्वीट करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो आम जनता के विश्वास को झकझोरने में सक्षम हों और शपथ पत्र में बेतुके आरोप लगा सकें जिससे उक्त संस्था को और बदनाम करने का प्रयास किया जा सके। जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्य को, जो इस प्रणाली का हिस्सा है, नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि बचाव पक्ष में किए गए कथनों को वापस लिया जाना चाहिए और खेद व्यक्त किया जाना चाहिए, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने कहा कि अवमानकर्ता जवाब में लिए गए बचाव को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यह आगे यह स्पष्ट करता है कि के साथ जोर देते हुए अनुचित बचाव और इसके साथ जाने का आग्रह पूरे प्रकरण को ऐसा बनाता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

53. यह ट्वीट 35 साल के वकील द्वारा किया गया है और जो कई जनहित याचिकाओं में शामिल हैं।

हालांकि, केवल इसलिए कि एक वकील सार्वजनिक भलाई के लिए जनहित याचिका दायर करने में शामिल है, यह उसे उस प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य नहीं करता है जिसका वह हिस्सा है। हालाँकि एक आम नागरिक से अपेक्षाएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय से एक वकील से जो कर्तव्य और अपेक्षाएँ अपेक्षित हैं, वे उच्च पक्ष पर हैं। एक अधिवक्ता अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी को नहीं भूल सकता और व्यवस्था को ही बदनाम नहीं कर सकता। जिसका वह अभिन्न अंग है। निष्पक्ष आलोचना को चुप नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन एक अधिवक्ता को खुद को याद दिलाना होगा कि वह कहाँ औचित्य के क्षेत्र को पार करता है, और न्यायालय इसे लगातार अनदेखा नहीं कर सकता है, और व्यवस्था को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। जब आलोचना दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय आरोपों में बदल जाती है जिससे जनता और समग्र रूप से संस्थान का विश्वास कम हो जाता है, तो ऐसी आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ में: प्रेस/मीडिया में वक्तव्य

54. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने तर्क दिया कि हमें कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों पर विचार करना चाहिए।

पत्रकार और अन्य। हम नामों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उन नामों का उल्लेख करना उचित नहीं समझते हैं। तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि न्यायालय को व्यक्त राय से प्रभावित होना चाहिए

समाचार पत्र और अन्य मीडिया, जब न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो। तर्क के दो पहलू हैं। पहला, क्या अदालत को समाचार पत्र में प्रकाशित बयान द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए और दूसरा, क्या, न्यायिक मामलों में, ऐसे बयान दिए जाने की अनुमति है। हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या न्यायालय सार्वजनिक मंच पर व्यक्त की गई इस तरह की राय से निर्देशित हो सकता है और क्या न्यायालय अपने न्यायिक कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए आई. एन. आर. ई. पर अपना निर्णय देता है:

प्रशांत भूषण और एएनआर।

मीडिया और जनमत द्वारा किए गए परीक्षण का आधार। दोनों प्रश्नों के उत्तर दृढ़ता से नकारात्मक में पाए जाते हैं। न्यायालय अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है और उसे मीडिया में प्रकाशित विभिन्न लेखों में प्रकाशित बयानों और उसमें व्यक्त की गई राय से अप्रभावित रहना होगा। उसे इस तरह की राय से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करना होगा।

55. सी. जे. मिलर ने न्यायालय की अवमानना, तीसरे संस्करण में अटॉर्नी-जनरल बनाम में निर्णय का उल्लेख करते हुए इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया। समय-सीमा

न्यूजपेपर लिमिटेड, (1973) 3 ऑल ई. आर. 54 ने इस पहलू पर इस प्रकार चर्चा कीः

" 7.106 एक्स पी के ऑस्ट्रेलियाई मामले में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया था। महान्यायवादीः री ट्रुथ एंड स्पोर्ट्समैन लिमिटेड. [1958 61 एस. आर. (एन. एस. डब्ल्यू.) 484] यहाँ एक समाचार पत्र ने एक ड्राइवर का वर्णन किया जिसे उसकी कार द्वारा टक्कर मारने और दो छोटे बच्चों की हत्या के बाद 'राक्षस' के रूप में दोषी ठहराया गया था, यह कहते हुए कि यह न्यू साउथ वेल्स में रिकॉर्ड पर सबसे अमानवीय सड़क हत्याओं में से एक थी। न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अवमानना के लिए जुर्माना लगाने को उचित ठहराया कि -

यदि अपील लंबित रहने के दौरान इन कार्यवाहियों में व्यवहार की गई प्रकृति की टिप्पणी और आलोचना की अनुमति दी गई थी, निस्संदेह पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना होगी, और किसी भी मामले में

यदि अदालत गंभीर रूप से शर्मिंदा हो सकती है

डेलबर्ट-इवांस मामले में निर्णय को अटॉर्नी-जनरल बनाम में स्पष्ट अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। क्रिस्प एंड 'ट्रुथ' (एन. जेड.) लिमिटेड. [1952 एन. जेड. एल. आर. 84 (एन. जेड. सुपर। सीटी.)। जब हत्या के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का समय समाप्त नहीं हुआ था, तो प्रतिवादियों ने एक हॉरी को 'एक अकथनीय राक्षस' और 'सौम्य काले दिल वाला दुष्ट' बताया था। यह मानते हुए कि अवमानना की गई थी, फेयर जे ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी 'गंभीरता से लोगों को शर्मिंदा करने के लिए' थी।

न्याय का निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रशासन '।

56. यह आगे देखा गया कि एक अपीलीय न्यायाधीश के दिमाग पर प्रभाव के माध्यम से गंभीर पूर्वाग्रह का पर्याप्त जोखिम है

प्रकाशन। इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसी टिप्पणियां करने का कार्य जो किसी न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत हो या जिसकी संभावना भी हो, आवश्यक रूप से समान है। एक अपमान के लिए।

57. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने कहा है कि श्री प्रशांत भूषण को कोई सजा देने की स्थिति में इस अदालत की आलोचना की जाएगी। हम इस समर्पण से विचलित नहीं हैं। व्यायाम करते समय हमारे

न्यायिक कार्य, हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि क्या हम [2020] 8 एस. सी. आर. होंगे।

हम जो निर्णय देते हैं, उसके लिए उनकी प्रशंसा या आलोचना की जाती है। हमें अपनी धारणा और समझ में कानून के आधार पर मामलों का फैसला करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सही है। हमसे इस आधार पर मामले का फैसला करने की उम्मीद नहीं की जाती है कि फैसले की आलोचना होगी या नहीं। हमें इसकी निष्पक्ष आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।

58. सी. जे. मिलर ने अदालत की अवमानना, तीसरे संस्करण में लॉर्ड पार्कर सी. जे. का उल्लेख इस प्रकार किया हैः

" 7.118 दायित्व के अधिरोपण को उचित ठहराने का एक वैकल्पिक तरीका

ऐसे मामलों में जैसे कि महान्यायवादी v. टोंक्स [1939 एन. जेड. एल. आर. 533] ने प्रकाशन को अपीलीय अदालत के फैसले को 'निर्देशित' करने के प्रयास के रूप में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार, इसे इस तर्क के आधार पर अवमानना के रूप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के इरादे से कार्य करता है, वह अपराध करेगा, भले ही उसके इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोई संभावना न हो। इस मुद्दे पर कहीं और अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि लॉर्ड पार्कर सी. जे. ने डफी में सहमति व्यक्त की, पूर्व पी। नैश ने कहा कि एक अवमानना की जा सकती है जहां 'विचाराधीन लेख अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावित करने के लिए एक जानबूझकर अभियान का हिस्सा था'। [1960 2 क्यूबी 188]

अतः, एक सामान्य विधि प्राधिकरण यह सुझाव देता है कि

इस देश में अभियान गैरकानूनी है।

59. इस न्यायालय ने आर. के. आनंद बनाम में मीडिया द्वारा बनाए गए दबाव के मामलों पर प्रभाव पर भी विचार किया है। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106 और रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज-पेपर्स बॉम्बे प्राइवेट के मालिक। लिमिटेड और अन्य, (1988) 4 एस. सी. सी. 592।

60. आर. के. आनंद (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने एक ऐसे मामले में मीडिया द्वारा मुकदमे की अवधारणा पर विचार किया जो विचाराधीन था। जबकि

उसी पर विचार करते हुए, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" लंबित मुकदमे की रिपोर्टिंग

289. हम श्री पी. पी. राव की इस दलील से भी सहमत नहीं हैं कि टीवी चैनल को निचली अदालत या दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्टिंग करना चाहिए था और इसके प्रसारण से पहले अदालत में स्टिंग सामग्री जमा करनी चाहिए थी। इस तरह का पाठ्यक्रम पत्रकारिता में एक अभ्यास नहीं होगा, लेकिन उस स्थिति में मीडिया आई. एन. आर. ई. के लिए किसी प्रकार की विशेष सतर्कता एजेंसी के रूप में कार्य करेगाः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

अदालत। बहुत कम विचार करने पर यह विचार काफी अप्रिय प्रतीत होता है।

अदालत और मीडिया दोनों के दृष्टिकोण से। 290. अदालत के लिए यह एक दुखद दिन होगा कि वह अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए मीडिया को नियुक्त करे और मीडिया भी निश्चित रूप से अदालत के लिए जासूसी करने वालों की भूमिका को पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा, इस बात पर जोर देना कि एक लंबित मुकदमे से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है या एक मुकदमे से संबंधित एक स्टिंग ऑपरेशन केवल अदालत की पूर्व सहमति और अनुमति के अधीन किया जा सकता है, अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग के पूर्व-सेंसरशिप के समान होगा। और यह होगा

यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मीडिया के अधिकार का उल्लंघन है।

291. हालाँकि, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि मीडिया किसी विचाराधीन मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करने या किसी लंबित मुकदमे से संबंधित किसी भी मामले पर स्टिंग करने के लिए स्वतंत्र है। वह कानूनी मापदंड जिसके भीतर किसी न्यायिक मामले पर रिपोर्ट या टिप्पणी की जा सकती है, अच्छी तरह से परिभाषित है और कानूनी सीमाओं के उल्लंघन में कोई भी कार्रवाई परिणाम को आमंत्रित करेगी। की तुलना में

सामान्य रिपोर्टिंग, एक स्टिंग ऑपरेशन एक अकल्पनीय रूप से अधिक जोखिम भरा और खतरनाक काम है। एक स्टिंग धोखे पर आधारित है और इसलिए, यह कहीं अधिक कानूनी प्रतिबंधों को आकर्षित करेगा।

कठोरता और कोई भी उल्लंघन अधिक गंभीर होगा

सजा "।

61. महाराष्ट्र राज्य में v. राजेंद्र जवानमल गांधी, 7) 8 एस. सी. सी. 386, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा परीक्षण की अवधारणा और

ग आंदोलन पर विचार किया गया और न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 37. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अनावश्यक प्रचार और जनता द्वारा मोर्चा से बाहर निकालने से लड़की को बहुत नुकसान पहुंचा था। यहां तक कि इस अदालत के आदेश पर मामले को कोल्हापुर से सतारा स्थानांतरित करना पड़ा। अपराध के आरोपी व्यक्ति के मुकदमे के संचालन को नियंत्रित करने वाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सार्वजनिक आंदोलन द्वारा मुकदमा कानून के शासन के बिल्कुल विपरीत है। यह अच्छी तरह से नेतृत्व कर सकता है

न्याय की विफलता। ..... 62. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

राष्ट्र, (2009) 6 एस. सी. सी. 498, राजधानी में जनमत के प्रश्न पर विचार किया गया था। यह देखा गया कि जनता की धारणा दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा देने के लिए भी आवश्यक नहीं है। प्रासंगिक परिच्छेद इस प्रकार हैं

: :

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2 (च) मृत्युदंड में जनमत

80. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनमत को दुर्लभतम मैट्रिक्स में फिट करना मुश्किल है। अपराध के बारे में लोगों की धारणा न तो अपराध से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ परिस्थिति है और न ही अपराधी के लिए। बचन सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 के आदेश के अनुसार कम से कम मृत्युदंड की सजा में जनता की धारणा दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा के लिए भी बाहरी हैः 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580]

XXX

XXX

87. जनमत कानून के शासन और संविधानवाद के विपरीत भी हो सकता है। भागलपुर ब्लाइंडिंग मामला [एड। : संदर्भ ऐसा प्रतीत होता है कि खत्री (द्वितीय) v. बिहार राज्य (1981) 1 एस. सी. सी. 627: 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 228] या हाल ही में बॉम्बे बम विस्फोट मामले में अभियुक्तों के मुकदमे के अधिकार पर हमलों की बाढ़ [एड। : संदर्भ

ऐसा लगता है कि संजय दत्त बनाम। राज्य (II), (1994) 5 एस. सी. सी. 410: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1433] हाल के उदाहरण हैं। हम मीडिया में फांसी की सजा के एक तमाशा बनने के खतरे से भी अनजान नहीं हैं। यदि मीडिया ट्रायल की संभावना है, तो मीडिया द्वारा सजा सुनाने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बाहर निकलें। 88. एंड्रयू एशवर्थ, के क्षेत्र में एक प्रमुख शिक्षाविद

सजा सुनाना, जो यू. के. में सजा सुधारों के केंद्र में रहा है, हमें जनमत को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के बारे में शिक्षित करता है।

सजा में। उन्होंने (माइकल हॉफ के साथ) एक लेख, "सेंटेन्सिंग एंड द क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन" (1996 क्रिम) में कहा है। एल. रेव.):

" आपराधिक न्याय प्रणाली से बाहर के लोगों द्वारा आम जनता को सुनाई गई सजा के विचार हमेशा महत्वपूर्ण होंगे, भले ही वे अदालत में निर्धारक न हों। दुर्भाग्य से, सजा देने की प्रथाओं के संबंध में जनमत की अवधारणा को अक्सर सतही या सरल तरीके से नियोजित किया जाता है। इस लघु लेख में हमने अवधारणा के उपयोग में दो प्रमुख कठिनाइयों की पहचान की है। सबसे पहले, जनता के सदस्यों को वास्तविक सजा देने की प्रथाओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी है। दूसरा, सजा सुनाने के बारे में लोगों की व्यापक धारणाओं और उन विशेष मामलों के संबंध में उनके विचारों के बीच एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत उपेक्षित अंतर है जिनके बारे में वे तथ्यों को जानते हैं। जब यह घोषित किया जाता है कि जनता सोचती है कि अदालतें बहुत उदार हैं, तो दोनों

इन कठिनाइयों को आमतौर पर दबा दिया जाता है।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

जनमत की इस त्रुटिपूर्ण और आंशिक धारणा पर सजा देने की नीति बनाना गैर-जिम्मेदाराना है। निश्चित रूप से तर्क यह है कि इसका विरोध करना कठिन है कि कानून में जनता का विश्वास होना चाहिए

सजा सुनाने में विश्वास कम है और शायद कम हो रहा है। हालाँकि, चूंकि इसके कारण सजा देने के अभ्यास में नहीं हैं, बल्कि गलत सूचना और गलतफहमी में हैं, और (यकीनन) केवल आपराधिक न्याय से दूर से संबंधित कारकों में, सजा के शुल्क को बढ़ाना शायद ही जनता का विश्वास हासिल करने का एक तर्कसंगत तरीका है। यह इस बात से इनकार नहीं है कि कम से कम अल्पावधि में, सजा देने की नीतियों का समर्थन करके राजनीतिक पूंजी बनाई जानी चाहिए, जिसमें कठोर, निर्णायक कार्रवाई की गुंजाइश है। हालांकि,

सार्वजनिक सनकीपन का अंतर्निहित स्रोत नहीं रहा होगा संबोधित; और एक बार जब राजनेता इस मार्ग पर चलते हैं, तो वे खुद को लंबे समय तक कठोरता, 'निर्णायकता' और उच्च सार्वजनिक व्यय के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं। कठिन नीतियों से पीछे हटने की राजनीतिक कीमत, एक बार शुरू होने के बाद, हो सकती है

किसी भी रंग के राजनेताओं के लिए विचार करने के लिए बहुत अधिक हो। द यूनाइटेड

राज्य एक उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं।

यदि सजा सुनाने में जनता के विश्वास में गिरावट का स्रोत ज्ञान और समझ की कमी है, तो स्पष्ट सुधारात्मक

नीति जनता की राय की त्रुटिपूर्ण अवधारणा के अनुरूप सजा देने की नीति को अनुकूलित करने के बजाय समझाने और शिक्षित करने के लिए है। लेकिन इस तरह की व्याख्या और शिक्षा का लक्ष्य कौन होना चाहिए? हमें गंभीर संदेह है कि क्या आम नागरिक तक सीधे पहुंचने के प्रयासों का कोई प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर, हम सोचते हैं कि जनमत को आकार देने वालों को शिक्षित करना, सीमाओं के भीतर, संभव है। समाचार पत्र और टेलीविजन पत्रकार, के लिए

उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में की गई पहलों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली

अपराध की रिपोर्टिंग पर उन तरीकों से अंकुश लगाना जो अनावश्यक रूप से अपराध के भय को बढ़ावा देते हैं। अब इसी तरह की पहल की जानी चाहिए। सजा के संबंध में '।

9999

3. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में यह देखा गया था कि न्याय के प्रशासन के लिए उपकर निश्चित रूप से बना रहना चाहिए।लाल। जनहित की मांग है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और न्यायिक निर्णय का प्रभाव होना चाहिए

ई-सार्वजनिक आंदोलन या प्रकाशनों द्वारा खाली या बाधित।

64. न्यायाधीशों को आवाज के अपराध के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, जैसा कि धर्मकोश-43 (नारद 36-4-5) में इस प्रकार कहा गया हैः

राजा तू "धार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह कुछ भी नहीं है जो आप चाहते हैं। द "शास त्रर्थ" कु क्षाः कुलीनाः सत्यवादिनः स साः शत्रो च मी त्ते रे च त्रे पाते स्यूः: जनादेशः

नारद 36-4-5 (धार) कोश-43

-

65. इसका मतलब है कि न्यायाधीशों को कानूनों में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए

और मित्रों और शत्रुओं के प्रति निष्पक्ष। यह इस बात पर जोर देता है कि न्यायाधीशों को मित्रों और दुश्मनों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। हमारी राय में, न्यायिक निर्णय मीडिया में व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं हो सकता है।

66. विचाराधीन मामले में प्रेस या मीडिया में जाने वाले वकील और वादी एक और सवाल है जो इस मामले में सबसे पहले है। मामले की सुनवाई करते हुए श्री प्रशांत भूषण ने प्रेस और मीडिया से बात की। श्री प्रशांत भूषण द्वारा दिनांकित 20.08.2020 के आदेश के अनुसार दिया गया बयान भी समाचार पत्र और मीडिया में विस्तार से, शब्द-दर-शब्द, काफी पहले ही प्रकाशित किया गया था। न्यायिक मामलों में, प्रेस को पहले से इस तरह का बयान जारी करना अनुचित कार्य है और न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का प्रभाव पड़ता है।

निर्णय लेना और स्पष्ट रूप से समाचार पत्र और मीडिया के प्रभाव से न्यायालय के निर्णय को मजबूर करने का एक प्रयास है, जिसे न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है और आगे स्वतंत्र न्यायिक निर्माण प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप के समान होगा जो प्रशासन की संस्था की नींव है।

न्याय। यदि किसी न्यायिक मामले में इस तरह की कार्रवाई का सहारा लिया जाता है, वह भी एक वकील द्वारा जो आपराधिक अवमानना का सामना कर रहा है, तो यह वस्तुतः एक मंच या मंच का उपयोग करने के समान है जो ऐसा नहीं माना जाता है।

नैतिक और कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है। इससे भी अधिक, आपराधिक अवमानना के गंभीर मामले में और विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद, यह इंगित करता है कि अनैतिक तरीकों का सहारा लेकर बिना किसी अच्छे कारण के न्यायालय की सहिष्णुता का परीक्षण किया जा रहा है।

67. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने निष्पक्ष रूप से कहा कि एक विचाराधीन मामले में, वकील या वादी के लिए प्रेस या अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।

मीडिया और बयान दें। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय से एक वरिष्ठ वकील द्वारा यह अच्छी समझ और सलाह प्रबल नहीं हुई है।

अवमाननाकर्ता। डॉ. धवन ने यह भी कहा कि श्री प्रशांत भूषण द्वारा प्रेस या मीडिया को बयान जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

उसके लिए ऐसा करना अस्वीकार्य है। हम विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन की निष्पक्षता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं। उन्होंने हमें ऐसे पहलुओं पर बार के सदस्यों और वादियों को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए कहा है।

संदर्भ मेंः सजा सुनाने के कारक

68. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि सजा सुनाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं - अपराधी, अपराध और वैधानिक या अन्य बचाव। उन्होंने मामले में जारी दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया हैः एस. मुलगांवकर (ऊपर)।

69. अपराधी के संबंध में, जैसा कि श्री प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह 35 साल का वकील है और उसने विभिन्न जनहित याचिकाओं को भी चलाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को संतुलित करते समय यह एक प्रासंगिक कारक होगा। हालाँकि, साथ ही, बचाव के रूप में सच्चाई का पीछा करने के लिए हलफनामे में दिए गए अनावश्यक बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि, 2009 में इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में विभिन्न प्रश्न तैयार किए गए हैं जिनका उत्तर देना होगा, इसलिए उक्त अवमानना याचिका के लंबित होने को वर्तमान मामले में सजा के प्रश्न पर प्रतिबिंबित करने का एक कारक नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि वर्तमान अटॉर्नी जनरल ने भी अवमानना का मामला यानी अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 1/1919 (शीर्षक भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम। प्रशांत भूषण), जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

70. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने तर्क दिया कि अपराध भी एक ऐसा कारक है जिसे लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए

सजा। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध अस्पष्टता के बिना स्पष्ट होना चाहिए, और संभावित अपराधी को यह समझना चाहिए कि वह अपराध के लिए कहाँ और कब दोषी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को बदनाम करना कुख्यात रूप से अस्पष्ट है, जैसा कि श्रेया सिंघल (ऊपर) में देखा गया है और न्यायालय को करना होगा जैसा कि बरदकांत मिश्रा (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सावधानी बरतें।

71. ई. एम. शंकरन नम्बूदरीपद (ऊपर) और पी. एन. डूडा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों के बीच विसंगति के संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन के संबंध में, हम इन दोनों मामलों में निर्णय के अंतिम परिणाम से चिंतित नहीं हैं। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि दोनों निर्णयों में उल्लिखित कानूनी स्थिति एक ही है। हो सकता है कि एक मामले में उसी कानून को लागू करके अदालत ने बयान [2020] 8 एस. सी. आर. पाया हो।

किए गए बयान अवमाननापूर्ण थे और अन्य मामलों में अदालत ने पाया कि दिया गया बयान अवमाननापूर्ण नहीं था। डॉ. धवन द्वारा दिए गए संदर्भ के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील, री में निर्णय के बारे में: टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू, (2013) Cr.L.J. 932, जिसमें हममें से एक (मिश्रा, जे.) एक पक्ष था, का संबंध है, हमारे विचार में उक्त निर्णय पर निर्भरता गलत है। सबसे पहले, परीक्षण को लागू करते हुए कि बयान देने वाला व्यक्ति कौन है, यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले में

बयान एक राजनेता द्वारा दिया गया था, हालांकि, वर्तमान मामले में, बयान एक वकील द्वारा दिया गया है जिसका कार्यकाल 35 वर्ष से अधिक है। दूसरा, उक्त मामले में बयान विशेष रूप से किसी के खिलाफ नहीं दिया गया था, बल्कि एक सामान्य बयान था, वर्तमान मामले में बयान पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के खिलाफ दिया गया है, जिन्होंने पिछले छह वर्षों से इस न्यायालय के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है।

72. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने भी तर्क दिया कि अवमानना

अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट और औपनिवेशिक है। इसके लिए उन्होंने आर. वी. में न्यायमूर्ति विल्मोट के फैसले पर भरोसा किया है। एल्मन, (1965) विल्म 243, मैकलियोड बनाम। सेंट ऑबिन, (1899) एसी 549 (पीसी), आर. वी. गैरी, (1900) 2 क्यूबी 36 डीसी, आर. वी. कोल्सली, 9 मई 1931 डी. सी., धुरिका बनाम। लोक निदेशक

अभियोजन (राष्ट्रमंडल वकील संघ हस्तक्षेप), (2015) एसी 875। उन्होंने आग्रह किया कि पिछली शताब्दी में, इस अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल 31 वर्षों के लिए किया गया है और उसके बाद कभी भी इंग्लैंड में 1931 से नहीं।

73. उन्होंने आर. वी. का भी उल्लेख किया है। ब्लैकबर्न, (1968) 1 ऑल ई. आर. 763, जिसमें लॉर्ड डेनिंग ने अवमानना के लिए दोषी ठहराने या सजा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्पाइकैचर मामले में, डेली मिरर में एक बैनर था जिसका शीर्षक था "आप मूर्ख हैं" और लॉ लॉर्ड्स की तस्वीर को उल्टा कर दिया गया था, और कोई अवमानना शुरू नहीं की गई थी। इसके अलावा, 2019 में, संसद के निलंबन मामले में, अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 'लोकतंत्र के दुश्मन' कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

74. जिन प्रस्तुतियों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वे दोषसिद्धि निर्णय में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की समीक्षा करने के बराबर हैं। हमे जरूरत है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. धवन द्वारा की गई दलीलों पर फिर से विचार न करें, क्योंकि दोषसिद्धि निर्णय में उनकी सभी दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। दोषी ठहराए जाने के फैसले में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम डॉ. धवन के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, विद्वान वरिष्ठ वकील कि 14.08.2020 दिनांकित निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए।

इन आरईः प्रशांत भूषण और एएनआर।

75. हम निर्णय को वापस लेने के लिए उठाए गए निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं, अन्यथा स्वतः संज्ञान लेते हुए। हमने पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है

नेवटिया एंड अदर, (2000) 2 एस. सी. सी. 367। 76. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 129 के तहत संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के बीच कोई टकराव नहीं है और

215 संविधान और न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधान। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने पल्लव सेठ (ऊपर) पर भरोसा किया है, जिसमें यह देखा गया थाः

" 30. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख की अदालतें हैं और संविधान ने उन्हें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां दी हैं। इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस शक्ति को निरस्त या कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति निरपेक्ष है, तो क्या कोई भी ऐसा कर सकता है?

किस तरह और किस हद तक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, इसका संकेत देने वाला विधान? यदि कानून का कोई प्रावधान है जो अनुच्छेद 129 और/या अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति को बाधित या निरस्त करता है, तो वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस तरह के कानून को वैध रूप से अधिनियमित नहीं माना जाएगा। हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सजा की मात्रा या जिसे अवमानना के कार्य के रूप में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है या यहां तक कि अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि का प्रावधान भी नहीं किया जा सकता है।

ऐसा प्रावधान जो अवमानना क्षेत्राधिकार को निरस्त या बाधित करता है

संविधान के अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 215 के तहत।

77. माहेश्वरी पेरी और अन्य का मामला बनाम। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, (2016) 14 एस. सी. सी. 251 का भी उल्लेख किया गया था। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः

" 10. ..... चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत या उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना के लिए शुरू की गई कार्रवाई हो, अब यह तय कानून है कि अभियोजन प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए।

अधिनियम, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पल्लव सेठ में अभिनिर्धारित किया गया है।

78. हम पाते हैं कि इस प्रश्न पर दोषसिद्धि निर्णय में विचार किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत क्या प्रक्रिया है।

संविधान पर विचार किया गया हैः विजय कुर्ले और ओआरएस।

एससीसी ऑनलाइन एससी 407। हम उन्हें फिर से नहीं दोहराएंगे जैसा कि उन्हें दोषसिद्धि निर्णय में संदर्भित किया गया है।

79. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने आग्रह किया कि श्री महक माहेश्वरी द्वारा दायर शिकायत/याचिका की प्रति नहीं बनाई गई थी

अवमानकर्ता के लिए उपलब्ध। उन्होंने कहा कि श्री महक माहेश्वरी कुछ समय से किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक था

इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए आवश्यक प्रासंगिक प्रश्न। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 145 के साथ पठित सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम 6 (2) पर भी भरोसा किया है। जिसमें प्रावधान किया गया था कि शिकायत की एक प्रति की आपूर्ति की जानी चाहिए

सम्माननीय। 80. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालांकि शुरू में उक्त श्री महक माहेश्वरी ने इस न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसे प्रशासनिक पर रखा गया था।

इस न्यायालय के पक्ष में, इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया था। याचिका का केवल वह हिस्सा यानी अवमानकर्ता द्वारा किया गया पहला ट्वीट अवमानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के आधारों में से एक था। संबंधित ट्वीट का विशेष रूप से हमारे दिनांकित 22.07.2020 आदेश में उल्लेख किया गया है। अवमानक के खिलाफ कार्यवाही के लिए याचिका के किसी अन्य भाग पर विचार नहीं किया गया था। जहां तक दूसरे ट्वीट का संबंध है, जो टाइम ऑफ इंडिया दिनांक 22.07.2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर था, हमने उसी का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया था। इस प्रकार, यह किसी भी प्रासंगिकता का विषय नहीं होगा कि श्री महक माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका की प्रति प्रदान की गई थी या नहीं। स्वतः संज्ञान केवल उक्त दो ट्वीट्स के आधार पर लिया गया था, जिन्हें विशेष रूप से हमारे दिनांकित 22.07.2020 के आदेश में उद्धृत किया गया था। कैटेना में आयोजित

मामलों में, एकमात्र आवश्यकता यह है कि न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने विशेष रूप से अवमानकर्ता को उस आधार के बारे में अवगत कराया जिसके आधार पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। इतना ही नहीं, बल्कि अवमानकर्ता ने उस आधार को समझा जिसके आधार पर न्यायालय था। कार्यवाही, जैसा कि उनके द्वारा दायर जवाब में भारी हलफनामे से स्पष्ट है। हमारे विचार में इस संबंध में सहमति सारहीन है।

81. डॉ. धवन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का हिस्सा है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। फिर भी हम आश्वस्त नहीं हैं कि अनुच्छेद 129 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए

हम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होने के नाते अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी तर्क दिया, जो आईएनआरई से परे है:

प्रशांत भूषण और एएनआर।

लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू पर संदेह है। बोलने की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इस पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र की किसी भी संस्था को बदनाम नहीं कर सकता है। जैसा कि मेनका गांधी बनाम में देखा गया है। भारत संघ और एक अन्य, (1978) 1 एस. सी. सी. 248, लोकतंत्र स्वतंत्र बहस और खुली चर्चा पर आधारित है, हालांकि, इस तरह के संस्थान में अपमानजनक हमले और आम जनता के विश्वास को हिलाने की हद तक नहीं जा सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जिसमें एक राय रखने की स्वतंत्रता शामिल है जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य में आयोजित किया गया था। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ओआरएस। , (1995) 2 एससीसी 161। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी अपनी राय बनाने और निष्पक्ष आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर ऐसी राय निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण है,

उसी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी अवमानना क्षेत्राधिकार के जोखिम में होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन द्वारा उठाया गया तर्क कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत परिकल्पित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। हालाँकि, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं और इस प्रक्रिया में दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। समान रूप से संतुलित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉ. धवन के आग्रह के अनुसार, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम किसी एक व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली विचार प्रक्रिया और शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, तो यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। यदि वकीलों को उस संस्था के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण, निंदनीय और अपमानजनक आरोप लगाने की अनुमति दी जाती है, जिसका वे हिस्सा हैं, तो वकीलों का महान पेशा अपना सारा महत्व और आकर्षण और गरिमा खो देगा। वकीलों को माना जाता है निर्भीक रूप से स्वतंत्र और मजबूत होने के साथ-साथ संस्था के प्रति सम्मानपूर्ण होना।

82. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने यह भी तर्क दिया कि

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (22), चीजों को सद्भावना से किया गया माना जाएगा, वास्तव में, अगर ईमानदारी से किया जाता है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं। डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि यदि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (22) में प्रदान किए गए सद्भावना के बचाव को ध्यान में रखा जाता है, तो यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अवमानकर्ता द्वारा किया गया कार्य सद्भावना से किया गया था यदि यह ईमानदारी से किया गया था, तो लापरवाही से किया जा सकता है। टिप्पणियों के अवलोकन को न तो ईमानदारी से या [2020] 8 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

अच्छे विश्वास में। रिलायंस को रेनॉल्ड्स बनाम पर रखा गया है। समय-सीमा

न्यूजपेपर्स लिमिटेड एंड अदर्स, (1999) 4 ऑल ई. आर. 609, यह देखा गया है कि सही परीक्षा यह है कि क्या राय, चाहे कितनी भी अतिरंजित, जिद्दी या पूर्वाग्रहपूर्ण हो, इसे व्यक्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ईमानदारी से आयोजित की गई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो 35 साल का वकील है, जिसने ट्वीट्स में दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय टिप्पणियां की हैं और जवाब में हलफनामे में किए गए बयानों से उन्हें बढ़ाया है, जो उसी संस्था को बदनाम करने का प्रभाव डालते हैं जिससे वह संबंधित है, उसे ईमानदारी से या सद्भावना से बनाया जा सकता है।

83. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने कहा कि आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए संतुलन को इसके पक्ष में झुकना होगा -

प्रतिबंधों के विरुद्ध मौलिक अधिकार। उन्होंने तर्क दिया कि तर्कसंगतता का अर्थ है मूल और प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता और आयात आनुपातिकता, और उन्होंने मद्रास राज्य पर निर्भरता रखी है।

& ओआरएस। वी. वी. जी. रो, (1952) एस. सी. आर. 597, चिंतामन राव और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य, (1950) एस. सी. आर. 759, पापनासम श्रम संघ बनाम। मदुरा कोट्स लिमिटेड और अन्य। , (1995) 1 एस. सी. सी. 501, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। , (1996) 3 एस. सी. सी. 709, भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। वी. एल. आर. एस. द्वारा जी. गणयुथम (मृत)। , (1997) 7 एस. सी. सी. 463, टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड v. यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य। , (2004) 2 एस. सी. सी. 130, ओम कुमार और अन्य। वी. भारत संघ (यू. ओ. आई.), (2001) 2 एस. सी. सी. 386, अनुज गर्ग और अन्य। वी. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

& ओआरएस। , (2008) 3 एस. सी. सी. 1 और अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे रेक। बोर्ड और ओआरएस। वी. के. श्याम कुमार और अन्य। , (2010) 6 एससीसी 614। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि को वापस लिया जाए, और कोई सजा नहीं दी जाए

थोपा गया। हमने पक्ष और विपक्ष, अधिकारों और सीमाओं को तौला है और उसके बाद दोषसिद्धि के संबंध में एक सुविचारित निर्णय दिया है, और जैसा कि इस क्रम में चर्चा की गई है, आनुपातिकता पर विचार करने पर हमें इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। वही दूर किया जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री धवन ने भी आंद्रे पॉल टेरेंस एम्बर्ड बनाम में निम्नलिखित कथन पर भरोसा किया। त्रिनिदाद के महान्यायवादी और

टोबैगो, (1936) ऑल ई. आर. 704, निम्नलिखित मार्ग पर भरोसा किया गया हैः

जनता के किसी भी सदस्य द्वारा कोई गलत काम नहीं किया जाता है जो न्याय के स्थान पर किए गए सार्वजनिक कार्य की निजी या सार्वजनिक रूप से सद्भावना से आलोचना करने के सामान्य अधिकार का प्रयोग करता है। आलोचना का मार्ग एक सार्वजनिक तरीका हैः गलत सिर वाले लोगों को इसमें गलती करने की अनुमति हैः बशर्ते कि जनता के सदस्य आई. एन. आर. ई. के प्रशासन में भाग लेने वालों पर अनुचित उद्देश्यों का आरोप लगाने से बचेंः

प्रशांत भूषण और एएनआर।

न्याय, और वास्तव में आलोचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और नहीं

द्वेष में कार्य करना या न्याय के प्रशासन को बाधित करने का प्रयास करना,

वे प्रतिरक्षी हैं। न्याय एक गुप्त गुण नहीं हैः वह होनी चाहिए

जाँच और सम्मान का सामना करने की अनुमति दी गई, भले ही

आम पुरुषों की मुखर टिप्पणियां "।

(जोर दिया गया)

84. इस सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कोई भी सदस्य

आदेश देते हैं। कार्यवाही के दौरान आभासी आदान-प्रदान वह नहीं है जो न्यायालय का आदेश है, बल्कि यह सुनवाई के दौरान उस आदान-प्रदान की एक अस्थायी अभिव्यक्ति हो सकती है। हालाँकि, अंततः जो अंतिम है वह न्यायालय का आदेश है, जिस पर इसकी मुहर है। बेहतर होता कि उपरोक्त भाग का उल्लेख पूरक में न किया गया होता। बयान, लेकिन हम किसी को भी कोई बयान देने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम इसे एक उचित बयान नहीं मानते हैं कि न्यायालय के आदेश में क्या शब्द होने चाहिए थे। हमने अवमानकर्ता को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "यदि वह चाहता है" तो बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था। इसे प्रस्तुत करना या न करना उनका निर्णय था। हालाँकि, उन्होंने एक पूरक बयान प्रस्तुत करने का फैसला किया है। इस प्रकार, डॉ. धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जबरदस्ती के बारे में उठाया गया निवेदन आधारहीन है। विद्वान महान्यायवादी की यह इच्छा कि उसे/अवमानकर्ता को आरोप वापस लेना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए, पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

85. डॉ. धवन ने री में जे. कृष्ण अय्यर के अवलोकन का भी उल्लेख किया हैः एस. मुलगांवकर (ऊपर)। हमने दोषसिद्धि निर्णय में इसी पर विचार किया है और उसमें निर्धारित सिद्धांत का पालन किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते समय व्यवस्था की निष्पक्ष आलोचना का स्वागत है और न्यायाधीश अतिवादी नहीं हो सकते हैं

तब भी संवेदनशील जब विकृतियाँ और आलोचनाएँ सीमा को पार कर जाती हैं। हालांकि, इसे दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान देने की अनुमति देने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। अदालत को केवल उस मामले में कार्रवाई करनी होती है जहां हमला एक अनुमेय सीमा से परे है, कानून का मजबूत हाथ उस पर प्रहार करता है

वह जो कानून के शासन की सर्वोच्चता को उसके स्रोत और धारा को दूषित करके चुनौती देता है।

86. हमने उपरोक्त दिशानिर्देशों और मानकों को लागू किया है।

87. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि न्यायालय को उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने इस न्यायालय से राजनीतिक कौशल का आह्वान किया। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि यदि खेद की अभिव्यक्ति होती है और यदि हलफनामा वापस ले लिया जाता है, तो शायद कार्यवाही को शांत किया जा सकता है। हालाँकि, अवमानकर्ता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि अरुंधति रॉय के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "हमारे कंधे इसके खिलाफ टिप्पणियों को टालने के लिए पर्याप्त चौड़े हैं। " इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा दृष्टिकोण विद्वान महान्यायवादी द्वारा बताए गए दृष्टिकोण के समान होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी की अपील के बावजूद कि अवमानकर्ता के लिए खेद व्यक्त करने में बहुत देर नहीं हुई है, जैसा कि उन्होंने विद्वान महान्यायवादी द्वारा दायर अवमानना के संबंध में दूसरे मामले में किया था और एक और मौका दिया गया था, लेकिन इसे विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने अवमानकर्ता की उपस्थिति में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ता द्वारा दिए गए दोनों बयानों में, वह अपने आधार पर अडिग है, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसके द्वारा संस्था के साथ कोई गलत किया गया था। साथ ही, उन्होंने संस्थान में विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि क्षमा याचना केवल एक मंत्र नहीं हो सकता है और क्षमा याचना वैसी ही होनी चाहिए जैसी स्वयं न्यायालय को ईमानदारी से दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने बयान ईमानदारी से और सच्चे विवरणों के साथ दिया था, जिन पर अदालत ने विचार नहीं किया था। वह जिद कर रहा है और उसने बचाव में जो कहा है, उसके बारे में उसे कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने विद्वान महान्यायवादी की सलाह से इसे वापस लेने और यदि रिकॉर्ड से हटा दिया है तो उसे वापस नहीं लिया है। श्री प्रशांत भूषण को कानून से अच्छी तरह वाकिफ होने के नाते विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई सलाह को उचित महत्व देना चाहिए था, जिन्होंने उन्हें सजा न देने का अनुरोध किया है, साथ ही यह भी कहा है कि जवाब में हलफनामे में दिए गए बयान आई. एन. आर. ई.:

88. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने तर्क दिया कि यदि अवमानकर्ता को कारावास भेजा जाता है, तो वह शहादत प्राप्त करेगा, और उसे भी इस प्रथा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अदालत अवमानकर्ता को अभ्यास करने से रोकने का आदेश तब तक पारित नहीं कर सकती जब तक कि उसे पूर्व सूचना जारी नहीं की जाती और उस संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। 89. आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि चाहे तो नामांकन को निलंबित कर सकती है। इस न्यायालय के लिए यह भी खुला है कि वह न्यायालय में वकालत करने से रोक सके, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (ऊपर) में कहा गया है। हम अवमानकर्ता को कारावास की सजा देने या उसे इस प्रथा से वंचित करने से नहीं डरते हैं। उनका आचरण दृढ़ता और अहंकार को दर्शाता है, जिसका न्याय प्रशासन की प्रणाली और नेक पेशे में कोई स्थान नहीं है, और जिस संस्था से वे संबंधित हैं, उसे हुए नुकसान के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया गया है। साथ ही, हम केवल इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अवमानकर्ता ने यह बयान दिया है कि वह न तो इस न्यायालय की उदारता या दया का आह्वान कर रहा है और वह उस दंड के अधीन होने के लिए तैयार है जो उस पर कानूनी रूप से लगाया जा सकता है जिसे न्यायालय ने अपराध निर्धारित किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बयान का भी हवाला दिया है, जो महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ मुकदमे के समापन पर दिया था।

90. न्यायालय शुरू से ही इस मामले को शांत करने का इच्छुक था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अवमानकर्ता को माफी मांगकर और संस्था के साथ-साथ व्यक्ति, जो न्यायालय का एक अधिकारी है, की कृपा को बचाकर इस मामले को समाप्त करने के लिए राजी किया गया था। हालांकि, उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए उन्होंने हमारे अनुनय या विद्वान अटॉर्नी जनरल की सलाह के बावजूद न तो पछतावा दिखाया है। इस प्रकार, हमें उस पर एक उचित सजा देने पर विचार करना होगा। 91. अपराधी, अपराध, दोषसिद्धि निर्णय और बचाव पक्ष के बारे में डॉ. धवन द्वारा आग्रह किए गए कारकों को उचित रूप से संतुलित करते हुए हमें सजा के प्रश्न का निर्णय करना होगा। हमारे सुविचारित विचार में, अधिनियम [2020] 8 एस. सी. आर.

अवमानकर्ता द्वारा किया गया कार्य बहुत गंभीर है। उन्होंने न्याय के प्रशासन की संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, जिसका वे स्वयं हिस्सा हैं। दोहराव की कीमत पर, हमें यह कहना होगा कि न्याय की संस्था में देश के नागरिकों का विश्वास कानून के शासन की नींव है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आवश्यक कारक है

स्थापित करें।

यह देखते हुए ऐसा करना बंद कर दिया कि यह एक असमान लड़ाई होगी। विद्वान महान्यायवादी ने भी अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी हालाँकि, वर्तमान अवमानकर्ता के खिलाफ, अवमानकर्ता द्वारा खेद व्यक्त करने पर, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने उक्त अवमानना याचिका को वापस लेने की मांग की।

कार्यवाही। हालांकि, उक्त कार्यवाही अभी भी लंबित है। वर्तमान मामले में भी एक अवसर पर नहीं, बल्कि कई अवसरों पर, हमने न केवल अवसर दिया, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवमानकर्ता को खेद व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित किया। इतना ही नहीं विद्वान महान्यायवादी ने यह भी सुझाव दिया था कि यह चीजों की योग्यता में था कि एक अवमानक खेद व्यक्त करता है और शपथ पत्र में लगाए गए आरोप को वापस ले लेता है। उत्तर, जिसके अनुरोध पर अवमानकर्ता द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। अवमानकर्ता ने न केवल पहले प्रस्तुत किए गए दूसरे बयान का व्यापक प्रचार किया

इस न्यायालय ने न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने से पहले 24.08.2020 पर, लेकिन न्यायिक मामलों के संबंध में विभिन्न साक्षात्कार भी दिए, जिससे इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को और कम करने का प्रयास किया गया। अगर हम इस तरह के आचरण का संज्ञान नहीं लेते हैं तो यह पूरे देश में वकीलों और वादियों को गलत संदेश देगा। हालांकि, उदारता दिखाते हुए, किसी भी गंभीर सजा को लागू करने के बजाय, हम अवमानना करने वाले को रुपये के मामूली जुर्माने के साथ सजा सुना रहे हैं। 1 / - (एक रुपया)।

93. इसलिए हम अवमानकर्ता को जुर्माना या रुपये की सजा देते हैं। 1 / (एक रुपया) इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 15.09.2020 द्वारा जमा किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह निम्न अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा -

तीन महीने और आगे तीन साल की अवधि के लिए इस न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

94. तदनुसार, सभी लंबित आवेदनों सहित वर्तमान कार्यवाही, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अवमानना कार्यवाही का

निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी